uxj ifj"kn fB;ksx] ftyk f'keyk fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 04@2007 ls 03@2011

Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ iz kjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376 / 81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ठियोग, जिला षिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

orZeku vads{k.k vof/k ds nkSjku fuEu iz/kku o lfpo vkgj.k o lforj.k vf/kdkjh ds in ij dk;Zjr jgs %&

iz/kku %&

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री हेम राज वर्मा	01.04.2007 से 31.03.2011 तक

lfpo %&

1	श्री सुधीर शर्मा	12.03.07 से 18.04.07
2	श्री के0एल0 ठाकुर	04.05.07 से 04.07.07
3	श्री रजनीष कुमार (नायब तहसीलदार)	20.07.07 से 31.08.07
4	श्री सुरज सिंह नेगी (नायब तहसीलदार)	14.09.07 से 08.02.08
5	श्री वी0आर0 नेगी	11.02.08 से 31.12.08
6	श्री आर0के0 कोनडनिया	12.01.09 से 15.07.09
7	श्री वी0आर0 नेगी	20.07.09 से 08.08.11

¼[k½ uxj ifj"kn fB;kx] ftyk f'keyk fgekpy izns'k dk ys[kk vof/k 01-04-2007 ls 31-03-2011 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkjA

Øe la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1	प्रतिभूति की शेष राषि को परिषद लेखा में न दर्षाना	5	8.86
2	दिनांक 31.3.11 को अनुदान की राषि व्यय हेतु षेष	6.3	55.23
3	IDSMT के अर्न्तगत चुण्डू पीक को टूरिस्ट स्पॉट विकसित करने हेतु प्राप्त अनुदान को कई वर्षों से व्यय न करना।	6.4	5.00
4	IDSMT के अर्न्तगत परिषद ठियोग में Community Hall के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना। राषि ₹12.24 लाख का अनावष्यक खर्च	6.5	20.25 12.24
5	III[rd] Finance Commission से प्राप्त अनुदान की राषि को पैंषन फण्ड में अनियमित प्रकार से हस्तांतरित करना।	6.6	15.06
6	वर्ष 2010–11 तक गृहकर की बकाया राषि की वसूली शेष।	7	72.69
7	गृहकर की दरों में संषोधन न करने के कारण नगर परिषद को वित्तीय हानि।	7.2	10.31
8	दिनांक 31.03.11 तक किराये की बकाया राषि की वसूली शेष।	8	22.06
9	स्लाटर हाऊस के किराये का गलत/कम निर्धारण करने के फलस्वरूप नगर परिषद को वितीय नुकसान	8.1	0.33
10	व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंड की दुकानों की लीज मनी प्राप्त न करने के कारण वितीय नुकसान	9	7.71
11	दिनांक 31.03.11 तक पट्टे पर दी गई भूमि की पट्टे राषि की वसूली शेष	10	0.48
12	मोबाईल कम्पनियों से टावर के नवीनीकरण फीस की राषि की वसूली शेष	11	0.25
13	अंकेक्षण अवधि के दौरान वास्तविक बजट से कम राषि व्यय करना	12	555
14	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक व्यय करना	13	71.18
15	संषोधित वेतनमानों में वेतन का गलत निर्धारण करने पर	14	0.23

	अधिक भुगतान		
16	श्री मदन कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन का गलत निर्धारण करने पर वेतन व भतों का अधिक भुगतान बारे	15	0.65
17	मानदेय के रूप में अनियमित/अनुचित भुगतान	16	0.25
18	सक्षम अधिकारी के Test Check के बिना निर्माण कार्यो के बिलों का भुगतान करने बारे	18	55.79
19	संविदाकार को अधिक भुगतान करना	19	0.43
20	Community Hall के निर्माण के लिए ठेकेदार को जारी 400 बैंग सीमेन्ट की वसूली न करने पर वित्तीय हानि	24	1.22
21	नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों का आबंटन नियमानुसार न करने बारे।	26	14.57
22	सम्पति रजिस्टर में सम्पति का इन्द्राज न करना	28	2.35

¼x½ xr vd{k.k ifronu ½&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' पर दर्षाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 **orZeku vads{k.k %&**

नगर परिषद ठियोग, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01.10.11 से 23.12.11 तक किया गया। व्यय की विस्तृत जाँच के लिए मास 01/2008, 08/2008, 07/2009, 01/2011 तथा आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/2008, 03/2009, 03/2010 तथा 03/2011 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों मे समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **vads{k.k 'kqYd %&**

नगर परिषद ठियोग के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹29,400/—बनता है। जिसका विवरण परिषिष्ट ''ख'' में दिया गया है। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 470, द्वारा इस राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला—9 को षिमला में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने का अनुरोध किया गया।

4 **foÙkh; fLFkfr %&**

अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था। प्रस्तुत वित्तीय स्थिति नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना व रोकड़ बही में दर्षाये गए आंकड़ों की जाँच पर आधारित है :—

Year	Income from	Opening Balance	Income	Total	Exp.	Closing Balance
2007-08	Own Sources	76,92,683.32	16,93,519.00	93,86,202.32	17,71,649.00	76,14,553.32
	Grant in aid	39,69,783.39	32,58,278.00	72,28,061.39	26,30,783.00	45,97,278.39
	Total	**1,16,62,466.71**	**79,51,797.00**	**1,66,14,263.71**	**44,02,432.00**	**1,22,11,831.71**

2008-09	Own Sources	76,14,553.32	21,23,617.00	97,38,170.32	16,28,621.00	81,09,889.32
	Grant in aid	45,97,278.39	42,02,491.00	87,99,769.39	47,79,392.00	45,20,377.39
	Total	**1,22,11,831.71**	**63,26,108.00**	**1,85,37,939.71**	**59,07,673.00**	**1,26,30,266.71**
2009-10	Own Sources	81,09,889.32	35,58,524.00	1,16,68,413.32	23,32,306.00	93,36,107.32
	Grant in aid	45,20,377.39	47,25,250.00	92,45,627.39	45,16,486.00	47,29,141.39
	Total	**1,26,30,266.71**	**82,83,774.00**	**2,09,14,040.71**	**68,48,792.00**	**1,40,65,248.71**
2010-11	Own Sources	93,36,107.32	36,13,676.00	1,29,49,783.32	25,88,574.00	1,03,61,209.32
	Grant in aid	47,29,141.39	57,12,535.00	1,04,41,676.39	49,18,598.00	55,23,078.39
	Total	**1,40,65,248.71**	**93,26,211.00**	**2,33,91,459.71**	**75,07,172.00**	**1,58,84,287.71**

रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2011 को अन्तिम शेष 1,58,84,287.71

विभिन्न बैंकों मे जमा राषियां (31.03.11) 1,58,84,287.71

4-1 अवधि 31.03.11 तक विभिन्न बैंकों में जमा राषियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

[kkrs dk C;kjk	cSd uke ,o [kkrk l[;k	31-03-11 dks jkf'k dk C;kjk ¼₹½ eS
एम0सी0 फण्ड	एस0बी0 आई (112867217263)	14,57,512.50
आई0डी0एस0एम0टी (IDSMT)	एस0बी0 आई (11286721627)	27,16,472.91
एस0जे0आर0वाई (SJRY)	एस0बी0 आई (11286721774)	1,880.80
एन0एस0डी0पी0 (NSDP/EIUS)	एस0बी0 आई (11286721990)	25,24,605.50
तृतीय एस0एफ0सी0 (3rd SFC)	स्टेट को0 ओपरेटिव बैंक (8425)	8,737.00
एम0आई0एस0सी0 (MISC)	स्टेट को0 ओपरेटिव बैंक (6246)	23,75,421.00
डियोटिस एक्स्ट्रा (Duties Etc)	स्टेट को0 ओपरेटिव बैंक (7472)	1,26,413.00
ग्यारवां एफ0सी0 (11th FC)	PLA A/c	818.00
	lkof/k ;kstuk esa jkf'k;k	66]72]427-00

dqy ;ksx	1]58]84]287-71

4-2 lkof/k fuos'k %&

अवधि 31.03.11 तक सावधि निवेष के अर्न्तगत निवेषित राषियों का ब्यौरा निम्नलिखित है

Øe la[;k	cSad dk uke	,Q0Mh0vkj0 la[;k	fuos'k djus dh frfFk	ifjiDork frfFk	fuosf'kr jkf'k ¼₹½ esa
1	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	1128677764	30.03.11	30.06.11	10,00,000.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	31692219207	29.03.11	01.10.11	20,00,000.00
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	3037303827	24.04.08	24.04.11	72,427.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	31078874139	08.03.11	08.09.11	10,00,000.00
5	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	11286777636	29.03.11	01.10.11	20,00,000.00
6	एच0पी0 को–ओप्रेटिव बैंक	R.N.S. 5202331422	03.09.10	03.09.11	6,00,000.00
				dqy ;ksx	66]72]427-00

5 jkf'k ₹8-86 yk[k dh izfrHkwfr dks 'kh"kz dks ifj"kn ys[kk esa u n'kkZuk %&

लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा प्रतिभूति राषि का लेखा पृथक रोकड़ बही तैयार करके अलग से रखा गया था। उक्त लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.11 को इस लेखे में राषि ₹8,86,390.74 शेष थी जिसका वर्ष वार विवरण निम्न है। इसके अतिरिक्त जाँच करने पर यह भी पाया गया कि परिषद में प्रतिभूति राषि रजिस्टर फार्म जी–25 पर तैयार नहीं किया गया जिससे यह सुनिष्चित नहीं हो सकता कि लेखा में जमा प्रतिभूति राषि किस–किस व्यक्ति/फर्म को भुगतान हेतु शेष है तथा कितनी–कितनी राषि प्रतिभूति के रूप में प्रति फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार से किस–किस कार्य के अर्न्तगत प्राप्त हुई। प्रतिभूति राषियों की अलग रोकड़ में रखना तथा इसे मूल रोकड़ बही में न लेना और प्रतिभूति राषि रजिस्टर फार्म जी–25 पर तैयार न करना अपने आप मे एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उक्त रोकड़ बही को शीघ्र बन्द करके उसमें वर्तमान तिथि तक पाई गई समस्त प्रतिभूति राषि को मूल रोकड़ बही में समाहित किया जाए व नियमानुसार प्रतिभूति रजिस्टर फार्म 25 में तैयार करके लेखा परीक्षा विभाग को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

o"k	ikjfEHkd 'k"k	ikfIr;k	;kx	0;;	vUr'k"k
2007–2008	2,33,352.74	1,27,834.00	3,61,186.74	17,739.00	3,43,447.74
2008–2009	3,43,447.74	2,83,232.00	6,26,679.74	1,27,138.00	4,99,541.74
2009–2010	4,99,541.74	3,16,929.00	8,16,470.74	1,32,366.00	6,84,104.74
2010–2011	6,84,104.74	3,61,435.00	10,45,539.74	1,59,149.00	8,86,390.74

बैंक में अन्तषेष का विवरण निम्न प्रकार से था :–

1	हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक के बचत खाता 4496 में जमा राषि दिनांक 31.03.11	3,56,390.74
2	सावधि संख्या नम्बर 6423 में राषि	30,000.00
3	सावधि सेख्या नम्बर 556/2010	2,70,000.00
4	सावधि संख्या नम्बर 758/2010	2,30,000.00
	d|y jkf'k cdk ,o le;kof/k ;ktuk e	8]86]390-74

6 vunku jkf'k %&

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर परिषद को ₹1,78,98,554.00 की अनुदान राषियाँ विभिन्न लेखा शीर्षों में प्राप्त हुई जिनका पुर्ण विवरण परिषिष्ट ''ग'' से ''द'' तक मे दिया गया है।

6-1 अनुदान रजिस्टर को प्रत्येक मद बार अनुदान लेखा वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। एक वित्तीय वर्ष में अन्य वित्तीय वर्षों के व्यय को भी लेखांकित कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्राप्त अनुदान की वर्ष वार की क्या स्थिति थी। अनुदानों का वर्ष वार लेखा तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अनुदान लेखा वर्ष बार तैयार किया जाए ताकि प्रत्येक अनुदान की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके।

6-2 अनुदानों के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अनुदान की पूर्ण राषि को न दर्षाकर बैंक द्वारा कमीषन (Bank Charges) की राषि को घटा कर अनुदान रजिस्टर में दर्षाया गया था इसके साथ बैंक में जमा अनुदान राषियों पर प्राप्त ब्याज की राषि को अनुदान रजिस्टर में प्राप्ति में नहीं दर्षाया गया। जबकि अनुदान का लेखा स्वीकृत/प्राप्त अनुदान के आधार पर ही तैयार किया

जाना अपेक्षित था तथा अनुदान राषियों से प्राप्त ब्याज की राषि को मूल रोकड़ में आय के रूप में लेकर जमा किया जाए इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में न दोहराया जाए।

6-3 <u>fnukd 31-03-11 dk vunku dh jkf'k ₹55-23 yk[k 0;; gr 'k"k</u> %&

दिनांक 31.03.11 तक नगर परिषद के खाते में ₹55,23,078.91 की राषि अनुदान के रूप में व्यय हेतु शेष थी। उक्त राषि में गत अनेक वर्षों की शेष राषियां भी सम्मिलित थी परन्तु अनुदान रजिस्टर में लेखा वर्ष वार तैयार न किए जाने से प्रत्येक अनुदान की स्थिति स्वतः स्पश्ट नहीं होती ₹55,23,078.91 की बकाया अनुदान राषियों को समयावधि में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान राषियां को सरकार द्वारा जारी निर्देषों के आधार पर उसी उद्देष्य के लिए निष्चित समयावधि में खर्च करना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

6-4 <u>**IDSMT** d vUrxr pUM ihd ¼**Chundu Peak**½ dk **Tourist Spot** fodflr gr iklr vunku jkf'k ₹5-00 yk[k dk dbl o"kk ls 0;; u djuk</u> %&

अनुदान राषि की विवरणिका के अवलोकन से यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा वर्ष 2003–2004 में नगर परिषद को IDSMT के अर्न्तगत Chundu Peak का विकास करके उसे Tourist Spot बनाने के लिए राषि ₹5.00 लाख अनुदान के रूप स्वीकृत की थी ताकि नगर परिषद चुन्डू पीक से आय प्राप्त करके अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृष्ढ़ कर सके। परन्तु वर्ष 2003–2004 में प्राप्त अनुदान राषि ₹5.00 लाख को वर्ष 2011–12 तक भी उक्त उद्देष्य पर खर्च नहीं किया गया। जिससे नगर परिषद को वर्ष 2003–2004 से आज तक होने वाली आय प्राप्त न होने के कारण लाखों रुपये का वित्तीय नुकसान वहन करना पड़ा। जोकि एक गम्भीर अनियमितता हैं। अतः नगर परिषद उक्त अनुदान को विहीत उद्देष्य पर खर्च न करने के कारणों को स्पष्ट करने के साथ–साथ सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त इस राषि का व्यय करना सुनिष्चित करें।

6-5 <u>**IDSMT** d vUrxr uxj ifj"kn fB;kx e **Community Hall** d fuekZ.k d fy, iklr vunku jkf'k ₹20-25 yk[k dk mi;kx u dju ckjs rFkk jkf'k ₹12-24 yk[k vuko';d 0;;</u> %&

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला द्वारा नगर परिषद ठियोग को Community Hall के निर्माण के लिए राषि ₹20.25 लाख IDSMT के अर्न्तगत अनुदान के रूप में स्वीकृत किए तथा इस शीर्ष के अर्न्तगत पहली किष्त राषि ₹20 लाख निदेषक (यू0डी0) पत्र संख्याः यू0एल0बी0–एच0सी0सी0(10)–10/90, दिनांक 22.11.2000 द्वारा नगर परिषद ठियोग को जारी कर दी गई। उक्त निर्माण को करने के लिए पहले निदेषक शहरी विकास ने पत्र संख्याः यू0डी0/ई0आर0यू0एस0/एन0एस0डी0पी0/एस0(एफ)1/2000–खण्ड–5, दिनांक 29.07.2002 के द्वारा राषि ₹20.25 लाख का अनुमान पत्र तकनिकी एवं प्रषासनिक अनुमति/स्वीकृति प्रदान कर दी गई परन्तु निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया उसके पश्चात उक्त निर्माण कार्य का प्राक्कलन हिमाचल प्रदेष हाऊसिंग बोर्ड (HIMUDA) के अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्याः 7(51)पार्ट–3–359, दिनांक द्वारा राषि ₹28,94,500.00 के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया।

उक्त निर्माण के लिए नगर परिषद ठियोग ने दिनांक 28.02.2006 को टैंडर आमन्त्रित करके उन्हें खोला गया इन टैंडरों से न्यूनतम टैण्डर श्री सुनील शर्मा संविदाकार का था। अतः निदेषक शहरी विकास से पत्र संख्याः यू0एल0बी0–एच0(सी)/10/IDSMT/ठियोग/5925, दिनांक 27.05.2006 के द्वारा इस कार्य को राषि ₹20,57,726.00 के लिए आबंटित करने की अनुमति प्राप्त की गई तदानुसार Community Hall के निर्माण का आबंटन संख्याः 7(51)पार्ट 2/एम0सी0/2006–432, दिनांक 31.08.2006 को श्री सुनील शर्मा ठेकेदार को राषि ₹20,57,726.00 के लिए किया गया निर्माण कार्य को करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था संविदाकार ने उक्त निर्माण को आबंटन दरों पर न करने तथा बाजार दर पर करने के लिए दिनांक 02.04.08 को पत्र दिया जिस आधार पर नगर परिषद ने संविदाकार के टैण्डर/ आबंटन को रद्द कर दिया तथा Earnest money को जब्त कर लिया। नगर परिषद ने दिनांक 10.04.08 को Development of Site के लिए टैण्डर आमन्त्रित किए जिसमें Community Hall के निर्माण कार्य को नहीं लिया। उक्त आमंत्रित टैण्डरों के आधार पर Development of Site का निर्माण कार्य श्री संदीप सागर संविदाकार को उनके द्वारा भरी न्यूनतम दरों के आधार पर राषि ₹13,73,058.00 के लिए आबंटित किया गया। उक्त निर्माण कार्य को करने के लिए तीन माह का समय दिया। परन्तु 3rd running bill तक इस कार्य में ₹12,23,818.00 का व्यय हुआ। ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण को अभी भी पुरा नहीं किया। Development of Site के निर्माण कार्य पर हुए खर्च का वहन प्रस्ताव संख्याः 117/2009, दिनांक 30.11.09 के अनुसार परिषद द्वारा अपनी निधि से किया गया। नगर

परिषद ने प्रस्ताव संख्याः 07/2010, दिनांक 16.01.10 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी स्टाफ न होने के कारण यह कार्य दुसरी एजैंसी HIMUDA से करवाया जाए।

उक्त दिए गए विवरण के अर्न्तगत नगर परिषद निम्नलिखित आपत्तियों का स्पष्टीकरण पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें

6-5-1 नगर परिषद ने Community Hall के निर्माण कार्य के अनुमान पत्र में Development of Site पर होने वाले व्यय को क्यों नहीं लिया।

6-5-2 Development of Site के कार्य के लिए ठेकेदार को तीन माह का समय आबंटन तिथि April, 2008 से दिया गया था जबकि तीन साल बीत जाने के पश्चात भी Development का कार्य ठेकेदार द्वारा समाप्त/पूर्ण नहीं किया गया। ठेकेदार ने उक्त निर्माण कार्य में कोई Extension of time की Application परिषद को नहीं दी और न ही नगर परिषद ने ठेकेदार के विरूद्ध Agreement में दी शर्तों के अर्न्तगत कार्यवाही की। अतः अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

6-6 **IIIrd Finance Commission** ls izkIr vuqnku jkf'k ₹1]06]25]940-00 esa ls ₹15]06]000-00 dh jkf'k dks isa'ku Q.M esa vfu;fer izdkj ls gLrkarfjr djuk ¼&

नगर परिषद के अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने IIIrd Finance Commission से प्राप्त अनुदान राषि में से वर्ष 2007–2008 से 2010–2011 तक पैन्षन आदि के भुगतान के लिए राषि ₹15.06 लाख की राषि का हस्तांतरण पैंषन फण्ड में किया जोकि अनियमित था जिसका विवरण निम्नलिखित है। पैन्षन निधि मे अनियमित प्रकार से हस्तांतरित अनुदान राषि बारे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा अनुचित रूप में हस्तांतरित की गई अनुदान राषि को पुनः से पैंषन फण्ड से निकाल कर अनुदान राषि को उसी उद्देष्य हेतु खर्च किया जाए जिस उद्देष्य हेतु अनुदान राषि नगर परिषद को प्राप्त हुई थी तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

vof/k	gLrkarfjr jkf'k
2007–2008	2,40,000.00
2008–2009	3,10,000.00
2009–2010	4,80,000.00
2010–2011	4,76,000.00
dqy gLrkarfjr jkf'k	15]06]000-00

7 o"kZ 2010&11 rd x`gdj dh cdk;k jkf'k ₹72-69 yk[k dh olwyh 'ks"k ½&

नगर परिषद के गृहकर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर वर्ष 2010–11 तक गृह कर की राषि ₹72,68,763.00 बकाया में पड़ी थी जिसका वर्ष वार निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	fiNyh cdk;k jkf'k	o"kZ esa ekax	dqy ekax	izkfIr	'ks"k@cdk;k
2007–2008	51,44,832.00	9,78,453.00	61,23,285.00	4,71,910.00	56,51,375.00
2008–2009	56,51,375.00	10,00,844.00	66,52,219.00	3,58,733.00	62,93,486.00
2009–2010	62,93,486.00	10,68,238.00	73,61,724.00	5,59,639.00	68,02,085.00
2010–2011	68,02,085.00	10,76,734.00	78,78,819.00	6,10,056.00	72,68,763.00

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि नगर परिषद अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहा तथा प्रतिवर्ष निर्धारित गृह कर की वसूली मांग के बराबर नही हो पा रही जिसके फलस्वरूप हर वर्ष बकाया गृहकर राषि में निरन्तर बढ़ौतरी हो रही। अतः नगर परिषद को परामर्ष दिया जाता है कि गृहकर की वसूली हेतु नियामानुसार ठोस पग उठाये जाएं ताकि गृहकर की बकाया राषि की वसूली शीघ्र हो की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

7-1 <u>vof/k 01-04-07 ls 31-03-11 rd uxj ifj"kn lhek esa vUnj cus u;s Hkouksa dk dj fu/kkZj.k u djus ds QyLo:i yk[kksa #i;s dh foÙkh; gkfu</u> %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने अवधि 01.04.07 से 31.03.11 तक बने नये भवनों की न तो Assesment की और न ही इनका गृहकर निर्धारण करके मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में इनकी प्रविष्टि की गई जोकि अनियमित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2007–2008 में 37 भवनों, वर्ष 2008–2009 में 16 भवनों, वर्ष 2009–2010 में 30 भवनों तथा वर्ष 2010–2011 में 43 भवनों को पानी एवं बिजली के मीटर लगवाने के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किए गए परन्तु अनापति प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों के आधार पर निर्मित भवनों का निरीक्षण किया जाना आपेक्षित था परन्तु सम्बन्धित अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद ने जिन नये भवनों को अनापति प्रमाण पत्र जारी किए उनकी न ही वार्षिक Assessment value का निर्धारण किया और न ही कर निर्धारण करके इन भवनों की प्रवृष्टि गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में की। जिसके फलस्वरूप हर वित्तीय वर्ष में नगर परिषद को लाखों रुपये की वित्तीय हानि वहन करनी पड़ी। अतः नगर परिषद ठियोग को परामर्ष दिया जाता है कि वर्ष 2007–2008 से 2010–2011 में बने नये भवनों की सूची तैयार करके Assessment value निर्धारणोंपरान्त गृहकर का निर्धारण करें तथा इसकी पृविष्टि गृहकर मांग रजिस्टर में करके नियमानुसार इस गृहकर की वसूली भवन मालिकों से

करके नगर परिषद कोष में जमा की जानी सुनिषिचत करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7-2 xgdj dh njk e l'kk/ku u dju d dkj.k uxj ijh"kn dk jkf'k ₹10-31 yk[k dh foÙkh; gkfu %&

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला की विज्ञपति संख्याः यू0डी0–1(सी)/10/07/98, दिनांक 17.11.03 के अनुसार State Finance Commission की Recommendation के अर्न्तगत गृहकर को निम्न विवरणानुसार वसूला जाना अपेक्षित था।

foÙkh; o"k	nj
2002–2003	8.5 प्रतिषत
2003–2004	9.5 प्रतिषत
2004–2005	10.5 प्रतिषत
2005–2006	11.5 प्रतिषत
2006–2007	12.5 प्रतिषत

उक्त शीर्ष की आय के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद वर्ष 1997 से 10% की दर के आधार पर गृहकर की वसूली कर रही है तथा निदेषक शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला की अधिसूचना दिनांक 17.11.03 द्वारा जारी निर्देषों की अनुपालना न करते हुए नगर परिषद को गृहकर से प्राप्त आय की राषि ₹10,31,068.00 की वित्तीय नुकसान हुआ जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

o"k	xgdj dh ekx	ifr'kr vk/kkj	xgdj dh ekx tk fu/kkfjr djuh Fkh	ifr'kÙrk	vk; e gkfu ifr o"k
2007–2008	9,78,453.00	10%	12,23,066.00	12.50%	2,44,613.00
2008–2009	10,00,844.00	10%	12,51,055.00	12.50%	2,50,211.00
2009–2010	10,68,238.00	10%	13,35,298.00	12.50%	2,67,060.00
2010–2011	10,76,734.00	10%	13,45,918.00	12.50%	2,69,184.00
				dy gkfu	10]31]068-00

अतः कार्यकारी अधिकारी निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष द्वारा जारी अधिसूचना में दिए निर्देषों की अनुपालना करते हुए गृहकर की दरों को संषोधित करने के उपरान्त गृहकर की वसूली करें। अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

8 fnukd 31-03-11 rd fdjk;s dh cdk;k jkf'k ₹22.06 yk[k dh olwyh 'ks"k ½&

नगर परिषद के दुकानों/स्टालों के किराये की दिनांक 31.03.11 तक राषि ₹22,06,047.00 वसूली हेतु शेष थी। इस राषि का विवरण निम्न प्रकार से था :–

foÙkh; o"kZ	cdk;k jkf'k ¼₹½esa	o"kZ esa ekax ¼₹½	dqy olwyh ;ksX; jkf'k	olwy dh xbZ jkf'k	cdk;k fdjk;k
2007–2008	18,57,834.00	7,81,424.00	26,39,258.00	6,07,080.00	20,32,178.00
2008–2009	20,32,178.00	8,34,716.00	28,66,894.00	7,86,384.00	20,80,510.00
2009–2010	20,80,510.00	8,68,670.00	29,49,180.00	8,25,200.00	21,23,980.00
2010–2011	21,23,980.00	9,03,832.00	30,27,812.00	8,21,765.00	22,06,047.00

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की थी। जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष किराये की बकाया राषि में बढ़ौतरी हो रही है। नगर परिषद की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा हैं अतः कार्यकारी अधिकारी उपरोक्त बकाया राषि की वसूली हेतु षीघ्र यथाषीघ्र नियमानुसार दोषी किरायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायें ताकि बकाया किराये की वसूली शीघ्र हो सके। की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8-1 LykVj gkÅl ds fdjk;s dk xyr@de fu/kkZj.k djus ls jkf'k ₹0-33 yk[k dk foÙkh; uqdlku ½&

नगर परिषद की दुकानों एवं व्यवसायिक परिसरों के किराये से सम्बन्धित अभिलेखां की जाँच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा नगर परिषद ठियोग को स्लाटर हाऊस तथा अन्य स्कीमों के निर्माण के लिए IDSMT के तहत राषि ₹66.06 का अनुदान स्वीकृत किया था जिसमें राषि ₹5.25 लाख का आबंटन उपरोक्त निर्माण के लिए था नगर परिषद द्वारा ठियोग कोटखाई सड़क पर स्लाटर हाऊस का निर्माण किया गया जिसमे उन्होंने एक हॉल तथा पांच दुकाने बनाई। जिस पर कुल खर्च 9.62 लाख हुआ। नगर परिषद प्रस्ताव संख्याः 28/2007, दिनांक 30.10.07 द्वारा स्लाटर हाऊस को Industrial Training Institute को किराये पर देने का प्रस्ताव पारित किया तथा उसी आधार पर उक्त भवन Industrial Training Institute को दे दिया।

स्लाटर हाऊस भवन को Industrial Training Institute को किराये पर देने सम्बन्धी नस्ति/अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अन्यिमितताऐं पायी गयी।

नगर परिषद ठियोग ने स्लाटर हाऊस भवन के हॉल और दुकानों को किस नियम के अर्न्तगत Industrial Training Institute को दिया जबकि भवन जिस उद्देष्य के लिए बनाया गया था इस उद्देष्य के लिए भवन का उपयोग क्यों नहीं किया गया स्पष्ट किया जाए।

8-2 स्लाटर हाऊस को Industrial Training Institute को देने से पूर्व नियमानुसार न तो कोई Agreement बनाया गया और न ही किराये का कोई निर्धारण किया और न ही किराया निर्धारण रजिस्टर में किराया सम्बन्धि कोई प्रविष्टि की गई।

नगर परिषद द्वारा उक्त भवन के किराया निर्धारण की जाँच में पाया गया कि किराया निर्धारण के समय न तो भूमि के मूल्य/ कीमत को और न ही भवन निर्माण पर वास्तविक व्यय की राषि को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार भवन के किराये का निर्धारण कम करने के फलस्वरूप नगर परिषद को प्रतिमाह ₹2,337/– (7354 – 5017) का वित्तीय नुकसान हुआ। अतः अवधि 01.09.2007 से 31.10.2008 तक राषि ₹32,718.00 का वित्तीय नुकसान हुआ।

8-3 Industrial Training Institute द्वारा भवन खाली करने के लगभग एक साल के पश्चात पत्र संख्या5 7–55/एम0सी0/09–874, दिनांक 23.01.10 को प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0 षिमला को किराया जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया गया।

अतः उपरोक्त में दर्षाई कई अनियमितताओं पर नगर परिषद अपना स्पष्टीकरण तथा किराये के कम निर्धारण राषि ₹32,718.00 की वसूली सम्बन्धित विभाग से करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करें।

9 uxj ifj"kn fB;kx }kjk 0;olkf;d ifjlj utnhd cl LV.M dh nqdkuk dh yht euh u yus ij jkf'k ₹7-71 yk[k dk foÙkh; udlku rFkk yht MhM dk iqu% lgLrk{kj@uohuhdj.k u djokuk %&

नगर परिषद ठियोग ने व्यवसायिक परिसर की 27 दुकानों को वर्ष 2004–2005 में पांच साल की अवधि के लीज़ पर दिया। नियमानुसार लीज डीड को तैयार किया गया। पांच साल की अवधि समाप्त होने पर उक्त 27 दुकानों को पुनः नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित स्टालों/दुकानों नियम 2010 के उप नियम 5 के अनुसार पट्टे की राषि को 10 प्रतिषत की बढ़ौतरी के साथ इन दुकानों को एक वर्ष की अवधि के लिए आबंटित कर दियां पट्टे पर दी दुकानों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने जब दुकानें पट्टे पर दी तो पट्टा 5 वर्ष

के आधार पर दुकानों का आबंटन किया जबकि नियमुानसार पट्टा कम से कम 25 साल की अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित था पुनः से दुकानें पट्टे पर देने पर भी नगर परिषद ने धारा 5(क) नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों/स्टालों नियम 2010 के अर्न्तगत पांच वर्षों के बाद पट्टा तैयार करते समय न नये पट्टों को बनाया और न ही पट्टेधारकों से हस्ताक्षर करवाये जोकि पूर्णतयः नियमों की अवहेलना है। अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार पट्टेधारकों से पट्टे पर हस्ताक्षर करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिष्चित करें। जिन पट्टेधारियों ने पट्टे का नवीनीकरण नहीं करवाया है उसका विवरण परिषिष्ट ''घ'' में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं द्वारा निर्मित स्टालों/दुकानों को पट्टे पर देने के नियम, 2010 की धारा 9 के अनुसार पट्टेदार द्वारा बोली की स्वीकृति के पश्चात 30 दिन के भीतर पट्टे की पूर्ण राषि को जमा न करवाने पर पट्टा रद्द किए जाने का प्रावधान हैं जबकि नगर परिषद ने आज तक कुछ एक पट्टेधारियों जिनका विवरण निम्न प्रकार से है पट्टे की राषि की वसूली नहीं की और न ही पट्टे को रद्द किया गया।

Øe l0	iêk /kkjh dk uke	vof/k	n|dku l0	jkf'k
1	श्री संजय भारद्वाज, सपुत्र श्री केषवराम ग्राम जदौन, डाकखाना केलवी, तहसील ठियोग, जिला षिमला	27.12.09 से 26.12.10 एवं 27.12.10 से 26.12.11	14 14	39,270.00 39,270.00
2	श्री गैन्दामल, सपुत्र श्री जगमोहन वार्ड नम्बर 2 प्रेमघाट ठियोग, जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	1	55,660.00
3	श्री रोहित शांकिया, सपुत्र श्री एन0डी0 शांकिया, राहीघाट वार्ड नम्बर 7 ठियोग, जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	2	54,120.00
4	श्री अषोक कुमार एवं ब्रदर्ज, नारकण्डा तहसील कुमारसैन, जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	3	74,800.00
5	श्री बालक राम, सपुत्र श्री मुरली राम, ग्राम कलरजार, डाकखाना शरी, तहसील ठियोग, जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	7	89,320.00

6	श्री हरविन्दर, सपुत्र श्री सुचेतराम, वार्ड नम्बर 7 हेईराला, ठियोग, जिला षिमला	27.12.09 से 26.12.11	15	58,400.00
7	श्री राजेन्द्र ठाकुर, सपुत्र श्री हेतराम ग्राम परीनल डाकखाना मादग तहसील ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	16	41,140.00
8	श्री सुरेन्द्र कुमार, सपुत्र श्री दिलाराम ग्राम लेलूपुल सैंज तहसील ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	17	39,820.00
9	श्री राजेष शर्मा, सपुत्र श्री माठुराम ग्राम जैस डाकखाना जैस तहसील ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	18	39,600.00
10	श्री पप्पू भैया सपुत्र श्री छेदलाल, रहीघाट ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	21	23,760.00
11	श्री रामानन्द शर्मा सपुत्र श्री हेतराम ग्राम भरीयाना ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	22	15,400.00
12	श्री राजकुमार सपुत्र श्री सतीष कुमार प्रेमघाट वार्ड नम्बर 2 ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	25	17,820.00
13	श्री मोहन डोगरा सपुत्र श्री साधुराम प्रेमघाट वार्ड नम्बर 2 तहसील ठियोग जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	27	22,660.00
14	श्रीमति रेखा मोक्टा पत्नी श्री सुरेन्द्र मोक्टा गिरी न्यू लोज ग्राम एवं डाकखाना एवं तहसील कोटखाई जिला षिमला	27.12.10 से 26.12.11	9	1,59,600.00
		d|y ;k|x		7]70]640-00

अतः कार्यकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि उक्त विवरण में दर्षाये पट्टे धारियों से पट्टा राषि ₹7,70,640.00 की वसूली हेतु शीघ्र ठोस कार्यवाही अमल में लायें तथा प्राप्त राषि को

नगर परिषद कोष में जमा करें अन्यथा दिए गए नियमों के अनुसार कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 fnukd 31-03-11 rd iê ij nh xbZ Hkfe dh iêk jkf'k ₹0-48 yk[k dh olyh 'k"k ¼&

नगर परिषद ठियोग द्वारा पट्टे धारियों को काफी समय से पट्टे पर दी गई भूमि से अवधि 31.03.11 तक पट्टा किराया राषि ₹48,252.00 वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

Øekd	iê/kkjh dk uke o irk	31-03-11 rd olyh grq 'k"k jkf'k
1	श्री श्याम लाल, राषि राम, प्रेमघाट ठियोग	6,120.00
2	श्री टी0आर0 चन्देल, नजदीक बस स्टैण्ड ठियोग	3,136.00
3	श्री दीपक वर्मा, सपुत्र स्वर्गीय श्रीमति प्रिया वर्मा, हिमगिरि वाटिका वार्ड नम्बर 4, ठियोग	2,970.00
4	प्रधानाचार्य डी0ए0बी0 पब्लिक स्कूल ठियोग	14,636.00
5	श्री राम चन्द होटल वाला जनोगघाट ठियोग	610.00
6	श्री साघु राम दफादार एम0सी0 ठियोग	285.00
7	श्री ताराचन्द सपुत्र श्री हमीरचन्द शाली बाज़ार ठियोग	720.00
8	श्री हेतराम वर्मा, जनोगघाट, ठियोग	1,754.00
9	श्री केवल राम सपुत्र श्री मनसू राम जनोगघाट ठियोग	9,476.00
10	श्री ब्रह्मानन्द सपुत्र श्री कोलराम जनोगघाट ठियोग	8,344.00
11	श्री हरचरण सिंह मालिक बस स्टैण्ड ठियोग	191.00
12	श्री ज्ञान चन्द, ठियोग	10.00
	dqy ;kx	48]252-00

उक्त पट्टेधारियों से बकाया राषि की वसूली हेतु शीघ्र आवष्यक पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10-1 पट्टे पर दी नगर परिषद भूमि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कई पट्टेधारियों की पट्टे की राषि का कोई भी ब्यौरा सम्बन्धित अभिलेख में नहीं दर्षाया जिससे यह सुनिष्चित नहीं किया जा सकता कि पट्टेधारियों को कितना पट्टे राषि पर

जमीन का आबंटन किया गया। अतः अपेक्षित विवरण अविलम्ब तैयार करना सुनिष्चित किया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10-2 uxj ifj"kn }kjk vkyw eSnku dks fofHkUu iz;kstuksa ds fy, de 'kqYd ij nsus ds dkj.k izfr o"kZ yk[kksa #i;s dh gkfu %&

नगर परिषद ठियोग आलू मैदान को विभिन्न प्रकार के प्रयोजन हेतु ₹500/–प्रति दिन की दर से किराये पर देती थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ठियोग द्वारा सदन को अवगत करवाया कि आलू मैदान को विभिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर लगभग ₹7000/– प्रति दिन खर्च वहन करना पड़ता है। अतः सदन ने प्रस्ताव संख्याः 64/2008 द्वारा यह निर्णय लिया कि आलू मैदान को प्रतिदिन ₹5000/–व आधे दिन के लिए ₹2500/–की दर से वसूली की जाए लेकिन नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्याः 74/2008 द्वारा प्रस्ताव संख्याः 64/2008 को संषोधित करके विवाह समारोह के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए आलू ग्राऊंड का किराया ₹300/–प्रतिदिन तथा धार्मिक समारोहों के लिए केवल बिजली पर होने वाला खच्र ही वसूलना स्वीकार किया गया। अतः उक्त निर्णय के अनुसार नगर परिषद को आलू मैदान को विभिन्न–विभिन्न प्रयोजन पर देने से लगभग लाखों रुपये का नुकसान वहन करना पड़ रहा है क्योंकि नगर परिषद सदन द्वारा प्रस्ताव संख्याः 74/2008 से लिए निर्णय के दौरान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा दिए विवरण को अनदेखा किया गया प्रतीत होता है। अतः नगर परिषद को यह सुझाव दिया जाता है कि नगर परिषद पुनः से आलू ग्राऊंड को विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए जाने के तहत प्राप्त शुल्क के निर्धारण पर पुनः विचार करे तथा इतने शुल्क का निर्धारण आवष्यक करें जिससे नगर परिषद को वित्तीय हानि न हो।

11 fnukad 31-03-11 rd eksckbZy dEifu;ksa ls Vkojksa dh uohuhdj.k 'kqYd dh jkf'k ₹0-25 yk[k dh olwyh 'ks"k %&

सरकार के आदेष संख्याः DIT(IT)2005(Misc)2310, दिनांक 28.08.2006 के अर्न्तगत जारी निर्देषों में मोबाईल कम्पनी द्वारा स्थानीय निकाये सीमा के अर्न्तगत लगाये गए टावरों की निम्नलिखित फीस तथा इन्सटालेषन चार्जिज को वसूल करने का प्रावधान है।

1	इन्सटालेषन चार्जिज (Installation Charges)	₹10,000/– प्रति टावर
2	वार्षिक नवीनीकरण फीस (Annual Renewal Fee)	₹5,000/– प्रति टावर

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि शहर के भीतर Airtel, Tata and Reliance Communication कम्पनी द्वारा अपने–अपने टावरों को स्थापित किया गया। नियमानुसार जो Installation Charges and Annual renewal Fees ली जानी अपेक्षित थी को सम्बन्धित कम्पनीयों से नियमानुसार प्राप्त नहीं किया गया तथा न ही नगर परिषद द्वारा ऐसा अभिलेख तैयार किया है जिससे यह सुनिष्चित किया जा सके कि किस कम्पनी से कितने Annual renewal Fees ली जानी बकाया में है। नगर परिषद ठियोग ने एयरटैल तथा टाटा कोम्यूनिकेषन से नियमानुसार वार्षिक नवीनीकरण फीस न प्राप्त करने के फलस्वरूप राषि ₹25,000/– का वित्तीय नुकसान हुआ जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Name of Company	**Period**	nj	jkf'k
Airtel	2007-2008 to 2010-2011	5000 P.A	20,000/-
Tata Indicom	2007-2008	5000/- P.A	5000/-
		Total	**25,000/-**

अतः नगर परिषद राषि ₹25,000.00 की वसूली शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 vd{k.k vof/k d nkjku okLrfod ctV dh jkf'k l ₹5-55 djkM dh jkf'k de 0;; djuk %&

नगर परिषद ठियोग द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार राषि ₹8.02 करोड़ के व्यय करने का बजट मे प्रावधान किया गया था लेकिन परिषद उक्त अवधि के दौरान केवल ₹2.47 करोड़ का ही व्यय करने में समर्थ रही। इस प्रकार परिषद द्वारा क्षेत्र वासियों को बजट में निर्धरित मूल भूत सुविधाओं/योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान नहीं किया गया जोकि चिन्ताजनक विषय है। अतः परिषद बजट के अनुसार व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करें तथा भविष्य में बजट की पुरी राषि का उपयोग करना सुनिष्चित करें।

o"k	ctV ¼**Provision**½	okLrfod [kpk	
2007–2008	1,66,62,251.00	44,02,432.00	26.42%
2008–2009	1,68,57,008.00	59,07,673.00	35.05%
2009–2010	2,22,67,824.00	68,48,792.00	30.76%
2010–2011	2,44,18,688.00	75,07,172.00	30.07%

8]02]05]771-00	2]46]66]069-00

13 uxj ifj"kn }kjk LFkkiuk ij fu/kkZfjr eki n.M ls jkf'k ₹71-18 yk[k dk vf/kd 0;; djuk

हिमाचल प्रदेष मियुन्सिपल एक्ट, 1994 की धारा 53(1)(सी) में प्रावधान है कि नगर परिषद के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते भविष्य निधि अंषदान तथा ग्रैच्यूटी Gratuity Fund में अंषदान तथा भविष्य निधि के द्वारा पैन्षन फण्ड आदि पर व्यय कुल खर्च व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए यह प्रावधान एम0सी0 मिन्यिुसीफल सेवा एक्ट, 1994 में भी है। जबकि अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्थापना व्यय पर राषि ₹71,18,371.00 का अधिक व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	okf"kZd [kpZ	fu;ekuqlkj LFkkiuk ij visf{kr 0;;	LFkkiuk ij dqy 0;;	vkSlru vf/kd 0;;
2007–2008	44,02,432.00	14,67,477.00	25,70,821.00	11,03,344.00
2008–2009	59,07,673.00	19,69,224.00	33,48,961.00	13,79,737.00
2009–2010	68,48,792.00	22,82,931.00	37,34,266.00	14,51,335.00
2010–2011	75,07,172.00	25,02,391.00	56,86,346.00	31,83,953.00
	2]46]66]069-00		1]53]40]394-00	71]18]371-00

उपरोक्त विवरण से यह पता चलता है कि नगर परिषद ने अवधि 04/07 से 03/11 तक स्थापना पर राषि ₹71,18,371.00 का अधिक व्यय किया जिसे पूर्ण तथ्यों सहित नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य मे ऐसे अनियमित भुगतान पर अंकुष लगाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

14 01-01-06 ls la'kksf/kr osrueku esa osru dk xyr fu/kkZj.k djus ds QyLo:i jkf'k ₹0-23 yk[k dk vf/kd Hkqxrku %&

नगर परिषद कर्मचारियों की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ एक कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.06 से संषोधित वेतनमानों में गलत करने पर राषि ₹23,078.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण साथ संलग्न है। अतः नगर परिषद सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण संषोधित वेतनमान के अर्न्तगत पुनः निर्धारित करे तथा प्रविष्टि सेवा पंजिका में करें और किए गए अधिक वेतन राषि ₹23,078.00 की वसूली सम्बन्धित

कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 <u>Jh enu dqekj 'kekZ] dfu"B vfHk;Urk ds osru dk fu/kkZj.k djus ij jkf'k ₹0-65 yk[k dk vf/kd Hkqxrku</u> %&

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ठियोग द्वारा निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला को पत्र संख्याः 96/13(5)MCT/2010-927-929, दिनांक 09.08.2010 के द्वारा सूचित किया कि श्री मदन कुमार शर्मा, द्वारा नगर परिषद ठियोग में दिनांक 02.08.10 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यग्रहण कर लिया है। उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला के आदेष संख्याः UD-H(B)15–18/97–6898–6951, दिनांक_10.08.10 के अनुसार श्री मदन कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता की Regular Service दिनांक 18.07.07 से मानी जाए। इससे पूर्व जितने भी आदेष एवं देय सारे लाभों को Withdraw किया जाता है। उक्त आदेषों के मध्यनजर श्री मदन लाल कनिष्ठ अभियनता के वेतन का निर्धारण भी सेवा पंजिका में नगर परिषद संतोषगढ़ ने पुनः से करके सेवा पंजिका नगर परिषद ठियोग को भेज दी। सेवा पंजिका में दर्ज किए संषोधित वेतन निर्धारण के अनुसार कर्मचारी को जो वेतन 02.08.2010 से पूर्व दिया गया था उसमें किए गए अधिक भुगतान के साथ–साथ 02.08.10 के बाद भी जितना अधिक वेतन दिया गया जिसका विवरण साथ संलग्न है। नगर परिषद ठियोग में श्री मदन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता को 02.08.10 से पूर्व दत वेतन व भत्तों का जहां पर 02.08.10 से पूर्व कितना–कितना वेतन दिया का ब्यौरा उपलब्ध न होने के कारण अधिक भुगतान का विवरण तैयार नहीं किया जा सका। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ठियोग को परामर्ष दिया जाता है कि श्री मदन कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता को भुगतान किए गए अधिक वेतन व भत्तों की राषि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 <u>jkf'k ₹0-25 yk[k ds ekunsa; ds :i esa vfu;fer@vuqfpr Hkqxrku</u> %&

नगर परिषद निधि से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को सौंपे गए अतिरिक्त कार्यभार हेतु मानेदय के रूप में भुगतान किया गया था। परन्तु नियमानुसार इस प्रकार के सौंपे गए अतिरिक्त कार्यभार हेतु मानदेय के रूप में दी राषि देय नहीं थी। अतः अनियमित रूप से किए गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹25,294.00 की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अनियमित रूप से किए गए मानदेय के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øekd	deZpkjh@vf/kdkjh dk uke	nj izfr ekl	vof/k	ekuns; dh :i esa fd;k x;k Hkqxrku
1	श्री राजेन्द्र ठाकुर, पटवारी	100.00	04/07 से 02/10	3500.00
2	श्री आत्मा राम, पटवारी	100.00	27.07.10 से 21.02.11	504.00
3	श्री के0आर0 सैनी सहायक अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग	300.00	04/07 से 05/08	4,200.00
4	श्री उमेष शर्मा, सहायक अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग	300.00	03.06.08 से 31.08.08 01.09.08 से 31.12.09	880.00 4,800.00
5	श्री महेष कंवर सहायक अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग	300.00	10.01.10 से 02/10 03/10 से 03/11	494.00 3,900.00
6	श्री सतीष गुप्ता पषु चिकित्सक	150.00	04/07 से 04/10	5,550.00
7	श्री अषोक कुमार पशु चिकित्सक	150.00	21.05.10 से 28.02.11	1,403.00
8	श्री सुषील नेगी पशु चिकित्सक	150.00	19.03.11 से 31.03.11	63.00
			dqy ;ksx	25]294-00

17 ;k=k HkÙks nkoksa esa jkf'k ₹0-03 yk[k dk vfu;fer@vf/kd Hkqxrku djuk %&

कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा भत्ते दावों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियो को यात्रा भत्ते दावों का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी के यात्रा कार्यक्रम को अनुमोदन किए या फिर हर रोज के आधार पर दिन प्रतिदिन के हिसाब से आने जाने का किराया तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जोकि नियमानुसार अनियमित था। फलस्वरूप यात्रा भत्ते दावों में राषि ₹3,520/—का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

okÅpj	deZpkjh dk	fcy dh	jkf'k	vfu;ferrk dk C;kjk

l0@ekg	uke	jkf'k	ftl dk Hkqxrku n; ugh	
293／23.01.08	श्री नरेष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता	3000.00	3000.00	बिना सक्षम अधिकारी के यात्रा कार्यक्रम को अनुमोदन करवायें
160／14.08.08	श्री नरेष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता	3300.00	236.00	दिनांक 26.05.08 से 30.05.08, 03.04.08 से 04.04.08, 19.06.08 से 21.06.08, तथा 24.07.08 से 25.07.08 तक में 70% यात्रा भत्ते तथा रोज आने जाने के किराये के फलस्वरूप अधिक भुगतान यात्रा बिल ₹3300.00 जितना यात्रा बिल देय बनता था ₹3064.00 अधिक भुगतान ₹236.00
418／28.01.11	श्री बलिन्दर सिंह लिपिक	1796.00	284.00	दिनांक 13.10.10 से 16.10.10, 18.10.10 से 19.10.10, 09.11.10 से 11.11.10 तथा 23.12.10 से 24.12.10 तक 70% दैनिकी के साथ आने जाने के किराये के फलस्वरूप अधिक भुगतान। भुगतान यात्रा बिल ₹1796 जितना यात्रा बिल देय बनता था ₹1512.00 अधिक भुगतान ₹284.00

अतः उक्त किए गए अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 l{ke vf/kdkjh d **Test Check** d fcuk fuek.k dk;k d fcyk dh jkf'k 55-79 yk[k dk Hkxrku djuk%&

हिमाचल प्रदेष नगर पालिका वर्कस नियम 2010 के उप नियम (4) के अनुसार मूल निर्माण मुरम्मत कार्यों के निष्पादन हेतु दत्त राषियों के अर्न्तगत नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता को तीन लाख तक के निर्माण/मुरम्मत कार्य की तकनिकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां हैं। जिसके अनुसार नगर परिषद ठियोग ने कनिष्ठ अभियन्ता से तीन लाख तक के निर्माण कार्यों के अनुमान पत्र तैयार करवाकर व तकनिकी स्वीकृति भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा देकर शहर में विभिन्न–विभिन्न कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों/संविदाकारों से करवाया गयां अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों को निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित जो भी प्रविष्टि माप पुस्तिका में की गई उन्हें बिना सक्षम अधिकारी के Test Check करवाये सीधा ठेकेदारों को अनियमित भुगतान किया जिससे यह प्रतीत होता है कि Works rules को ताक पर रखकर ऐसा किया गया तथा प्रविष्टियों को बिना Test Check करवाये ये भी सुनिष्चित नहीं किया जा सकता कि निर्माण कार्यों को PWD Specification के आधार पर करवाया गया या नहीं क्योंकि हिमाचल प्रदेष नगर पालिका वर्कस नियम, 2010 के नियम (4) में कनिष्ठ अभियन्ता को तीन लाख के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं निष्पादन करवाने की शक्ति प्रदान है राषि ₹55.79 लाख के विभिन्न कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं। भविष्य में समस्त निर्माण कार्यों का टैस्ट चैक करवाया जाए।

Sr. No.	Name & Address of Contractor	Name of Work with award No. & date	Gross amount of payment	Vr. No. date
1	Sh. Harish Chandel, S/o Sh. Tulsi Ram, R/o Vill Bainla, Po Jais, Tehsil, Theog	C/o retaining wall on Bagaghat road near house of Raghunath ward No.1 MCT/works/10-11-1148, dated 04-10-2010	70795/-	373, dated 10.12.10 MB No. 56 Page No. 3,4

2	Sh. Ashok Kumar, S/o Sh. Chet Ram, R/o Village Jadeog, PO Sandoo, Tehsil Theog	C/o Drainage System from house of Pradeep towards house of Subhash ward No.2 MCT/Works/10-11-1164, dated 04.10.10	66285/-	369 dated 10-12-10 MB No. Page No.
3	Sh Rajesh Sharma, S/o Sh. Laiq Ram Sharma, Sharma Niwas near Court Complex ward No. 1 Janog	P/o Path from Bagaghat road towards house of Laiq Ram Sharma ward No. 1 MCT/Works/10-11- 1237, dated 28-10-10	58595/-	365, dated 09-12-10 MB No. 56 Page No. 5 & 6
4	Sh. Suresh Vekta, S/o Sh. Parma Nand, Vill Raiha Ward No. 7 Rahighat Theog	C/o R/M of path from NH 22 to Shalli Bazar & Nh-22 to Subhash Chowk P/F Chequered tilesMCT/Works/10-11-1136, dated 04-10-10	22180/-	398, dated 27-01-11 MB No. 57 Page No. 1 & 2
5	Sh. Rajesh Sharma, S/o Sh. Laiq Ram, Sharma Niwas ward No. 1 Near Court	C/o Toilet Block Subhash Chowk Ward No. 6 MCT/Works/10-11-1249, dated 28-10-10	176701/-	402, datd 27-01-11 MB No 56 Page No. 14 to 17
6	Sh. Brij Lal S/o Chet Ram Near Degree College Premghat Theog	C/o Path Shariyana road towards house of Balak Ram Bhandari, Ward No. 4 MCT/Works/10-11-1130, dated 04-10-10	54048/-	405, datd 27-01-11 MB No. 57, Page No. 4 & 5
7	Sh. Bhoopinder Singh S/o Sh. Laxman Singh R/o Vill Bajowa, PO Jais, Tehsil Theog	Pavement of path from Janoghat Chowk towards Potato ground MCT/works/10-11-1160, dated 04-10-10	137755/-	408, dated 27-01-11, MB no. 57 page No. 2, 3, 4

8	Sh. Sunil Sharma S/o Sh. Basant Lal R/o Village Chikharh PO Theog Tehsil Theog	Providing precast inter lock block heaver heavy duty & Iron railing at Subhash Chowk Ist Running Bill THG/MC/2009-1075-77, dated 09-09-10	74474/-	411, dated 27-01-11 MB No. 57, Page No. 6 & 7
9	Sh. Sunil Khachi S/o Sh. Dhiyan Singh Village Deedi PO Theog	C/o retaining wall from DAV School to CH, Theog Retaining wall for 10meters MCT/Work/10-11-1128, dated 04-10-10	63713/-	419, dated 28-01-11 MB No. 56, Page No. 18 & 19
10	Sh. Rakesh Verma S/o Sh. Shayam Lal, R/o Pinaki Niwas Near DAV Public School Theog Ward No. 7 Chaidhala Rahighat	Pavement of road from NH-22 towards CH, Theog MCT/Works/10-11-1243, dated 28-10-10	144251/-	416, dated 28-01-11 MB No. 56 page No. 10
11	Sh. Ram Bhaj S/o Sh Jalam Singh Presently R/o Mehta Niwas Near Court Bagaghat road Ward No. 1 Janog Theog	Pavement of Path from bagaghat road towards House of Heeru in ward No. 1 Janog MCT/works/10-11-1233, dated 29-10-2010	221317/-	456, dated 07-02-11 MB No. 57, Page No. 9 to 11
12	Sh. Dinesh Chandel S/o Sh. Meena Ram R/o village Bainla PO Jais, Tehsil Theog	C/o Retaining wall from Subji Mandi to Subhash Chowk via MC Office RD o/o to 0/THG/MC/2009-73135, dated 29-04-10	203737/-	466, dated 26-02-11 MB No. 57 Page No. 8, 9

13	Sh. Rajesh Sharma S/o Sh Laiq Ram Sharma Niwas ward no. 1 Near Court	P/o Path from NH-22 towards house of N.D. Shakiya in ward no. 7 Rahighat MCT/works/10-11-1423, dated 23-11-10	138153/-	29, dated 18-04-11 MB No. 56 Page No. 25 & 26
14	Sh. Hem Chamd S/o Sh Karam Singh R/o Village Bajowa PO Jais Ram Prakesh R/o Village Bakhog PO Cheog	P/o path from Block Office towards house of Dhani Ram Verma Ward no. 2 MCT/Works/10-11-1239, dated 28-10-10	99152/-	32 dated 18-04-11 MB No. 56 Page No. 20, 21
15	Sh. Harish Chandel S/o Sh. Tulsi Ram R/o Village Bainla PO Jais Tehsil Theog	P/o from house of Madan Soni towards house of Manoj Grover at Ward no.7MCT/works/10-11(3) -1419, dated 25-11-10	45892/-	38, dated 18-04-11 MB no. 56 page no. 23, 24
16	Sh. Ram Lal Sharma S/o Sh. Bhajana Nand R/o Village Janog PO Theog	C/o Path from meat market towards upper Sharma Colony ward no. 2 MCT/works/10-11-1156, dated 04-10-10	74877/-	41, dated 18-04-11 MB no. 56 Page no. 28 to 30
17	Sh. Sanjay Bhardwaj S/o Sh. Bhoop Ram R/o Village Janog PO Theog	P/o Path house of Pankaj towards house of Joginder Chauhan at Ward No.2 MCT/works/ 10-11-1162, dated 04-10-10	94366/-	44, dated 18-04-11 MB no. 56 page No. 26, 27, 28

18	Sh. Ashok kumar S/o Sh. Chet Ram R/o Village Jadeog Po Sandhoo Tehsil Theog	C/o Drainage System from NH-22 towards house of Hira Singh Azard ward no. 3 MCT/works/10-11-1417, dated 25-11-10	26390/-	35, dated 18-04-11 MB No. 56 page no. 21
19	Sh. Basant Lal S/o sh. Daulat R/o Village Thanda Po Chikharh Tehsil	M/T of MC Road from Subhash Chowk to NH-22 Rahighat RD 0/0 to RD 0/705 MCT/works/10-11-1172-73, dated 05-10-10	230955/- Ist running bill	47, dated 18-04-11 MB no. 57, page no. 12 to 15
20	Sh. Rajinder Singh S/o Sh. Om Parkesh Thirman Village Janot Po Dhamandari Tehsil Theog	Maintenance & Repair of Municipal Counicl Office Theog MCT/works/10-11/4/-1405, dated 30-03-11	271767/-	90, dated 23-05-11 MB No. 56 Page No. 30 to 40
21	Sh. Davinder Sharma S/o Sh. Vijay Sharma R/o Near Court Complex Ward no. 1 Janog	Pavement of Path from SDM Court Complex towards house of Sat Parkesh Ward No. 1-1235, dated 28-10-10 MCT/Works/10-11	90493/-	33, dated 04-06-11 MB No. 56 Page no. 40 to 41
22	Sh. Bhoopinder Singh S/o Sh. Laxman Singh R/o Village Bajowa Po Jais	P/o Path from NH-22 to wards house of Dr. Tegta Ward no. 7 MCT/work-10-11-1168, dated 04-10-10	96993/-	121, dated 02-06-11 MB No. 56 Page no. 42, 43
23	Sh. Suresh Vekta S/o Sh. Parma Nand R/o Village Raiha Ward no. 7 Rahight, Theog	C/o Path from NH-22 towards Begi house in ward no. 7 MCT-works-10-11-1247, dated 28-10-10	73542/-	125, dated 02-06-11 MB no. 57 Pae no. 17 & 18

24	Sh. Laiq Ram Sharma S/o Sh. Mast Ram R/o Village Tikker Po Theog	C/o retaining wall from DAV School towards hospital phase-III ward no. 7 MCT-works-10-11-1144, dated 04-10-10	36264/-	130, dated 04-06-11 MB no. 57 Page No. 18 & 19
25	Sh. Bhoopinder Singh S/o Sh. Laxman Singh R/o Village Bajowa Po Jais	C/o drain from Vashishat Bank quit hall towards house of Yogeshwar Thakur ward no. 3 MCT-Works-10-11-124-125, dated 04-05-11	130454	167, datd 01-07-11 MB no. 57 page No. 20 & 21
26	Sh. Rajesh Sharma S/o Sh. Laiq Ram R.o ward no. 1 Janog Sharma Niwas near Court Complex Theog	C/o retaining wall on Bagaghat road opposite treasury office in ward no. 1 MCT-work-10-11-126-127, dated 04-05-11	80225/-	164, dated 01-07-11 MB no. 57, Page no. 22 & 23
27	Sh. Ashish Jaswal S/o Sh. Trilok Chand R/o Ward no. 7 Rahighat, Theog	C/o Path from house of ND Sakiya towards house of Sundri Devi Rahighat ward no. 7 MCT-ward-10-11-124-125, dated 04-05-11	137588/-	170, dated 01-07-11 MB no. 57 Page no. 24 & 25
28	Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Laiq Ram R/o Ward no. 4 Ram Bazar Near Shariyana road	P/o Path form Kotkhai road toward House of Anant Ram Verma MCT-Works-11-12-1-139, dated 12-05-11	170296/-	213, dated 02-08-11 MB No. 56 Page No. 46 & 47
29	Sh. Dhiyan Singh S/o Sh. Mathu Ram R/o Village & PO Mahog Tehsil Theog	P/o Path from NH-22 rowards Mahabaleshwar Mandir Ward no. 7 Chaidhala MCT-Warks-11-12-1/143, dated 12-05-11	147893/-	222, dated 02-08-11 MB no. 56 Page No. 44 & 45

30	Sh. Sanjay Bhardwaj S/o Sh. Bhoop Ram R/o Village Janog Po Theog	C/o Path Subji Mandi Theog Sh. C/o Pedestrain in ward no. 4 MC/2009-1045-49, dated 09-03-10	31417	245, dated 08-08-11 MB No. 54 Page no. 87 & 88
31	Sh. Sanjay Bhardwaj S/o Sh. Bhoop Ram R/o Village Janog PO Theog	C/o Path Subji Mandi Theog Sh. C/o Pedestrian in ward no. 4 THG/MC/2009-1027-32, dated 09-03-10	29917/-	248, dated 08-08-11 MB no. 54 Page no. 86
32	Sh. Suresh Sharma S/o Sh Het Ram R/o Village Seelu PO Theog	dated 20-04-10 Running bill Prov. Salt glazed stone work P.i.e, semi circular in exessing MC roard side drain leading from NH-22 Subji Mandi to Subhash Chowk THG-21(1)(1)part-II-Vol-V-81 to 84	336157 (MB) 56 Page 51, 52) Yes	236 Dated 08-08-11 MB no. 56 Page No. 50, 51, 52
33	Sh. Sunil Khachi S/o Sh. Dhiyan Singh R/o Village Chichi PO Theog	P/o Path from DAV School Towards CH. Theog MCT-Works-11-12-1/143, dated 12-05-11	293099	239, dated 08-08-11 MB no. 56 page No. 49 & 50
34	Sh. Rohit Verma S/o Late Sh. Om Prakesh Verma R/o Village Gurri PO Jais	P/o Path from NH-22 towards house Prem Singh in Ward No. 7 MCT-10-11-1245, dated 12-05-11	47196/-	242, dated 08-08-11 MB No. 56 page no. 48
35	Sh. Bhoopinder Singh S/o Sh. Laxman Singh R/o Village Bajowa PO Jais	Completion of Rehan Basera building MCT-works-10-11-1415, dated 12-05-11	276478	251. dated 08-08-11 MB no. 57 Page no. 31 to 41

36	Sh. Suresh Vekta S/o Sh. Parma Nand R/o Village Raiha PO Rahighat Theog	P/o road from NH-22 towards DAV Public School Theog MCT/Works-11-12-145, dated 12-05-11	279122/-	285, dated 02-09-11 MB no. 57 Page no. 42 & 43
37	Sh. Ram Lal Sharma S/o Sh. Bhajna Nand R/o Village Janog PO Theog	P/o Path from Kotkhai Road toward janog Devta Manir MCT-Works-11-12-1/137, dated 12-05-11	268940/-	331, dated 01-10-11 MB no. 57 page no. 44 & 45
38	Sh. Ramesh Chand S/o Sh. Sabla Ram R/o Village Bajowa PO Jais	P/o Path from Kotkhai road to wards house of Nirmla Devi ward no. 1 MCT-works-10-11-1132, dated 04-10-2010	45804/-	336, dated 07-10-11 MB No. 55 Pae no. 57 & 58
39	Sh. Brij Lal S/o Sh. Chet Ram R/o Ward no. 2 Premghat near Degree College Thoeg	P/o Path from meat market to wards lower Sharma Colony ward no. 2 MCT-Works-11-12-1/141, dated 12-05-11	106691/-	339, dated 07-10-11 MB no. 56 Page no. 53 to 55
40	Sh. Ram Bhaj S/o Sh. Jalam Singh Presently R/o Mehta Niwas Near Court Bagaghat road ward no. 1 Janog Theog	P/o Path from old Bazar towards house of Hem Chand ward no. 4 Running Bill MCT-works-11-12-1/192, dated 02-09-11	297262/-	352, dated 24-10-11 MB no. 54 Page no. 89 to 91
41	Sh. Ramesh Hetta S/o late Sh. Nand Ram Hetta R/o Village Kachour PO Jais	C/o Path from Panchayat Ghar to Suresh House ward no. 7 MCT/works-11-12/2/534, dated 03-10-11	19641/-	374, dated 23-11-11 MB no. 56 Page no. 56 & 57

42	Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Laiq Ram R/o Ward no. 4 Ram Bazar Near Shariyana road	Construction of link road from NH-22 towards Shamshanghat in ward no. 2 MCT/works-11-12/2/524, dated 3-10-11	52788/-	387, dated 23-11-11 MB No. 56 Page no. 63
43	Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Laiq Ram R/o ward no. 4 Ram Bazar near Shariyana road	Maintenance of Potato Ground and Installation of pedestal for laying foundation stone for C/o Community Hall MCT/works-11-12/379, dated 10-08-11	64883/-	384, dated 23-11-11 MB no. 56 Page no. 59 & 60
44	Sh. Ram Bhaj S/o Sh. Jalam Singh Presently R/o Mehta Niwas Nera Court Bagaghat Road ward no. 1 Janog Theog	Improvement of drainage system form house of Kali Ram towards house of Ram Sawroop near gass agency/godown ward MCT/works-11-12/2/532, dated 03-10-11	43570/-	377, dated 23-11-11 MB no. 56 Page no. 64 & 65
45	Sh. Dhiyan Singh S/o Sh. Mathu Ram R/o Village & Po Mahog Tehsil Theog	Installation of benches and dust bins within MC Limits MCT/Works-11-12/2/536, dated 03-10-11	146900/-	380, dated 23-11-11 MB no. 56 Page No. 61 & 62
		Total Amount	**₹55,79,016/-**	

19 lfonkdkj dk jkf'k ₹0-43 yk[k dk vf/kd Hkqxrku djuk ¼&

okÅpj l[;k½ 296] fnukad 23-01-08] jkf'k ₹4]89]298-00

कार्य का नाम	Site Development C/o Community Hall near DAV School, Theog
संविदाकार का नाम	श्री संदीप सागर
माप पुस्तिका संख्या	51 पृष्ठ 37 से 39

बिल संख्याः प्रथम चलत बिल

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्यमद संख्याः एक (Cutting in earth work) की कार्य मात्रा 2217.99 घन मीटर का भुगतान ₹247/– प्रति घन मीटर की दर से राषि ₹5,47,844.00 के लिए किया गया। इस कार्य की रिर्कोड प्रविष्टियां जो माप पुस्तिका संख्याः 51 पृष्ठ 37 से 39 पर है कि जाँच करने पर पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा Test Check के दौरान कुछ एक मदों के माप को कम/संषोधित किया गया जबकि ठेकेदार को बिल का भुगतान Test Check के दौरान कम/संषोधित माप पर न करके कुछ मदों के माप को बढ़ाकर किया गया जिसके फलस्वरूप राषि ₹43,129.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

<u>en dk uke</u> %& "Cutting in earth in all kinds of soil such as spade work, pick work …… work, blasting in soft and heard roads and than inter mediate classification of soil including chiseling/melding out of rock if required in saturated soil in all heights disposal of unserviceable material to the approved site and sticking of serviceable material as directed by engineer-in-charge".

Quantity tk yh xbZ	**Quantity** tk yh tkuh Fkh	vUrj	nj	vf/kd Hkqxrku
Ist step RD 0 to 7				
$\frac{68.29m^3 + 82.46\ m^3}{2} = 75.37\ m^3$				
$75.37\ m^3 \times 7 = 527.62\ m^3$	$527.62\ m^3$			
RD. 8 to 14				
$78.55\ m^3 \times 7.00 = 549.85\ m^3$	$549.85\ m^3$			
RD-15 to 22				
(A) $\frac{1.30 \times 5.20}{2} \times 5.00 = 16.25\ m^3$	$\frac{1.30 + 4.70}{2} \times 5 = 15\ m^3$			
(B) $\frac{5.20 + 9.70}{2} \times 7.00 = \underline{53.64\ m^3}$ 69.89 m^3	$\frac{4.70 + 8.70}{2} \times 7.20 = \underline{48.24\ m^3}$ 63.24 m^3			
$69.89\ m^3 \times 8 = 559.12\ m^3$	$63.24\ m^3 \times 8 = 505.92\ m^3$			

IInd Step

R 0/0 to 0/10 = ½ x 12.00 x 5.30 = 31.80 m^3 ½ x 9 x 5.30 = 23.85 m^3

31.80 m^3 x 10 = 318.00 23.85 x 10 = 238.50 m^3

R/D-11 to 20 = ½ x 11 x 4.20 = 23.10 m^3 ½ x 9 x 4.20 = 18.90 m^3

23.10 m^3 x 10 = 231.00 m^3 18.90 x 10 = 189.00 m^3

R/D- 21 to 22 = ½ x 9 x 3.60 = 16.20 m^3

16.20 m^3 x 2 = 32.40 m^3 16.20 m^3 x 2 = 32.40 m^3

2217.90 m^3 **2.43.29 m^3**

= 174.61 m^3 @ 247 per Cum (tast rate)=43128.67 says = 43129.00

अतः उक्त मामले में सक्षम/तकनीकी अधिकारी से जाँच करवाकर राषि ₹43129.00 के अधिक भुगतान की वसूली की जाँच तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19-1 उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य नगर परिषद के Award letter no. 7(51) Part-III (1)MC/07-866 to 868 के द्वारा श्री संदीप सागर ठेकेदार को राषि ₹13,73,058.00 के लिए आबंटित किया गया इस कार्य को समाप्त करने के लिए तीन माह का समय उक्त Award letter की जारी से 15 दिन के बाद से दिया था परन्तु अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित समय अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया और न ही Agreement की धारा 5 के अर्न्तगत कोई समय बढ़ौतरी दी गई है। ठेकेदार द्वारा समय पर काम पूरा न करने पर अनुबंन्ध की धारा–2 के अनुसार Delay in completion के अर्न्तगत Penalty लगाई जाने का प्रावधान है उसके अर्न्तगत ठेकेदार द्वारा निर्माण काग्र को समय पर पूरा न करने के फलस्वरूप उससे 10% of the awarded amount यानि कि 13,73,05.00 (10% of 13,73,058.00) की वसूली penalty के रूप में की जानी अपेक्षित है। अतः इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करते हुए ठेकेदार से समय पर निर्माण कार्य पूरा न करने पर 10 प्रतिषत राषि ₹1,37,305.00 की वसूली ठेकेदार से शीघ्र करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

20 okÅpj l[;k 151] fnukd 06-08-08] jkf'k ₹83]525-00 ½&

निर्माण कार्य का नाम	Providing retaining wall at Rahighat Road at Verious RD's
संविदाकार का नाम	श्री राजीव वर्मा

माप पुस्तिका संख्या 51 पृष्ठ 45 से 48

बिल संख्या पहला एवं अन्तिम बिल

उक्त निर्माण कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 3 (आर0आर0 मैषनरी में करवाए गए 130.39 मी^{3} घन मीटर) की मात्रा हेतु राषि ₹890.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹1,16,047.00 का भुगतान किया गया। इस कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियो की जाँच (माप पुस्तिका संख्याः 51 के पृष्ठ 46) पर पाया गया कि Excavation in foundation Trenches etc in earth work का कार्य 6.60, 7.40, 5.50, 7.30 लम्बाई के लिए किया गया तथा इतनी ही लम्बाई में सी0सी0 1:6:12 तथा Stone filling behind retaining wall की गई जबकि

R/R masinary $6.60 \times \frac{1.90+0.75}{2} \times 4.50 = 39.35\ m^3$

$7.40 \times \frac{1.90 + 0.75}{2} \times 4.50 = 42.93\ m^3$

$1.60 \times 0.75 \times 1.40 = 1.68\ m^3$

$5.50 \times \frac{1.60 + 0.75}{2} \times 3.30 = 21.32\ m^3$

$7.30 \times \frac{1.40 + 0.75}{2} \times 3.20 = 25.11\ m^3$

कुल योग = 130.39 m^3 पर करके भुगतान किया गया इसमें R/D 6.60, 7.40, 5.50 व 7.30 पर की गई R/R masonry के कार्य को सम्बन्धित तकनीकी सक्षम अधिकारी द्वारा टैस्ट चैक किया गया था जबकि लम्बाई 1.60 मी0 के लिए की गई R/R masonry की कार्यमात्रा 1.68 m^3 को तकनीकी सक्षम अधिकारी द्वारा न तो टैस्ट चैक किया गया और न ही इस रिटेनिंग वॉल के लिए खुदाई, सी0सी0 1:6:12 का भुगतान किया गया था अतः इन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि R/D 1.60 मे की R/R masonry की प्रविष्टि के तहत ठेकेदार को अनियमित/गलत ढंग से लाभ दिया गया जिसकी वसूली ₹1495.00 (1.68 m^3 x 890.00 p.cum) सम्बन्धित ठेकेदार या कनिष्ठ अभियन्ता से करके नगर परिषद कोष मे जमा की जाए तथा इसके साथ अनियमित रूप से की गई 1.68 cum R/R masonry पर खपत किए तीन बैंग सीमेन्ट (1.68 cum x 0.33 x 0.25 x 20 = 2.71 bags) की वसूली दोहरे दर के आधार पर {(3 बैंग सीमेंट x 170) x 2} राषि ₹1020.00 की वसूली भी

सम्बन्धित ठेकेदार/कनिष्ठ अभियन्ता से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

21 <u>okÅpj l[;k 171] fnukd 28-08-08] jkf'k ₹34]390-00</u> ½&

कार्य का नाम	C/o Path from NH-22 to Balak Ram, House at Chadhala ward No. 7
अनुमानित राषि	49,334.00
संविदाकार का नाम	श्री दीप राम हेल्टा
माप पुस्तिका संख्या	51 पृष्ठ 69 से 71 तथा 84 से 85
बिल संख्या	प्रथम एवं अन्तिम बिल

उक्त निर्माण का आबंटन श्री दीप राम हेल्टा संविदाकार को पत्र संख्याः 21 (1)(1)Part-3-Vol(4)-215 से 220 दिनांक 30.05.2008 द्वारा राषि ₹42,775.00 के लिए किया गयां इस कार्य के लिए 30 दिन का समय उक्त आबंटन पत्र जारी करने की तिथि के 15 दिन के बाद दिया गया। सम्बन्धित निर्माण कार्य के अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि Indent No. 19/47, दिनांक 29.05.08, 20/47, दिनांक 20.06.08 तथा 24/47 दिनांक 29.06.08 द्वारा क्रमषः 23 बैग, 47 बैग तथा 9 बैग सीमेन्ट जारी किया गया इन 79 सीमैन्ट बैग की वसूली ₹170.00 प्रति बैग की दर से राषि ₹13,430.00 की वसूली ठेकेदारों के उक्त बिल से कर ली गई। जबकि उक्त कार्य के लिए सीमेन्ट की वास्तविक खपत निम्न विवरणानुसार केवल 66 बैग बनती है। अतः खपत से अधिक उपयोग की वसूली ठेकेदार से दोहरी दर से की जानी अपेक्षित थी जबकि ठेकेदार से उपयोग न हुई सीमेन्ट की 13 बैग की वूसली दोहरी दर से न करके जारी दर के हिसाब से की गई। फलस्वरूप ठेकेदार से राषि ₹2,210.00 की कम वसूली की गई। जिसकी अब वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

<u>**Consumption of Material**</u>

Consumption tk yh tkuh Fkh	**Quintity**
Cement concrete 1:4:8	3.61 @ 0.17 = .61 tonne
R/R masanery cement Marter 1:6	23.95 @ 0.33 = 7.90 @ 0.25 = 1.97 tonne

1:2:4 cement concrete floring 50 mm thick	38.16/10 x 0.182 – 0.69 tonne 3.27 tone x 20 = 65.40 syas 66 bags

22 okÅpj la[;k% 169 ekg 08@2008] jkf'k ₹48]463-00

okÅpj la[;k% 153] ekg 07@2009] jkf'k ₹12]170-00

निर्माण कार्य का नाम	C/o New Rain Shelter and Renovation of existing Rain shelter at ward No. 3
संविदाकार का नाम	Sh. Rohit Verma Govt.
बिल संख्याः	अन्तिम बिल
माप पुस्तिका संख्याः	51 पृष्ठ 79 से 83 तथा 53 पृष्ठ 57 से 69

उपरोक्त निर्माण कार्य श्री रोहित वर्मा संविदाकार को नगर परिषद के पत्र संख्याः 21(1)(1)पार्ट(3)–खण्ड(4)–229–235, दिनांक 30.05.08 के द्वारा राषि ₹2,24,914.00 जोकि HPSR, 1999 की दरों से 33.48% अधिक प्रतिषतता पर आबंटित किया इस कार्य को समाप्त करने के लिए 2 माह का समय दिया गया। जिसकी आबंटित पत्र की तिथि से 15 दिनों के पश्चात गणना की जानी थी अभिलेखों एवं उक्त निर्माण के अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के लिए इन्डैन्ट संख्याः 16/47 के द्वारा 52 सीमेन्ट बैग जारी किए गए जिसमें उक्त निर्माण कार्य पर 45 बैग सीमेन्ट ही लगाये जिसकी वसूली राषि ₹7650/– (45 x 170) प्रथम चलत बिल से कर ली गई तथा बकाया 7 बैग जोकि निर्माण कार्य पर उपयोग नहीं हुए उसकी वसूली ठेकेदार के अन्तिम बिल से राषि ₹1190/– (7 x 170) की दर से करके भुगतान कर दिया गया जबकि नियमानुसार ठेकेदार को अनुपयोगी सीमेन्ट की वसूली नियमानुसार दोहरे दर से की जानी अपेक्षित थी। फलस्वरूप नगर परिषद द्वारा ठेकेदार के अन्तिम बिल से राषि ₹1190.00 (7 x 170) की वूसली कम की गई जिसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करके शीघ्र नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22.1 jkf'k ₹3]895-00 dh vfrfjDr enksa dk fcuk l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr ds fu"iknu djuk %&

उक्त निर्माण कार्य में ठेकेदार ने बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लिए, अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया जोकि नियमानुसार देय नहीं बनती हैं अतः राषि ₹3,895.00 का अतिरिक्त

मदों के अर्न्तगत कार्य को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवष्यक कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इस व्यय को नियमित किया जाए। अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अतिरिक्त मदों का निर्माण कार्य में निष्पादन किया गया का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

Øe l0	en dk l{kIr uke	vfUre fcy esa djok, x, dk;Z dh ek=k	Hkqxrku nj	Hkqxrku jkf'k
1	providing form work with steel plates 3.15 mm	5.85 cum	179/-	1047/-
2	Providing mild steel/tor steel reinforcement for R.C.C. work	103.66 kg	27.63	2448/-
			Total	**₹3895/-**

23 okÅpj la[;k 398] fnukad 27-01-11] jkf'k ₹19]377-00

कार्य का नाम	C/o Path from NH-22 to Shali Bazar & NH-22 towards Subhash Chowk ward No. 6
अनुमानित राषि	18,372.00
संविदाकार का नाम	श्री सुरेष बेक्टा
माप पुस्तिका संख्या	57 पृष्ठ 1 से 2
बिल संख्या	प्रथम एवं अन्तिम बिल

उपरोक्त कार्य का आबंटन श्री सुरेष बेक्टा को 52% above HPSR 1999 के लिए किया इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आबंटन पत्र की तिथि से 15 दिन के बाद 2 मास का समय आबंटित था जिसके अनुसार उक्त निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदार की दिए टैण्डर में जो Abstract of cost था में C.C. flooring 1:2:4 laid in one layer finished with floating coat of neat cement 40mm thick की दर ₹163.30 Per m^2 दर्ज थी जबकि Schedule Rate, 1999 में यह दर ₹97.00 Per/m^2 थी । जिससे एसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ठेकेदार को अनावष्यक/अनुचित लाभ देने के लिए Abstract of Cost में मद की दर अधिक लगा दी फलस्वरूप नगर परिषद को राषि ₹1,548/– का वित्तीय नुकासान हुआ जिसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार या फिर दोषी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से

करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की जाए अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

Item	Rate given in tender	Rate as per HPSR	Item executed
code 133/0000 C.C. floring 1:2:4 (Stone aggregate 20mm Nominal site) laid in one layer finished with a floating coat and neat coat (40mm thick)	163.30 m^2	97.00 m^2	15.360 m^2
Differenc in rate	**Excess Paid**	**52% above**	**Total**
66.30	**1018.37**	**529.55**	**1547.92**
		Says	**₹1548/-**

23-1 ठेकेदार द्वारा निर्माण स्थल पर मद “Steel work melded in built up sections” में estimate में दिए measurement व size के स्थान पर अन्य size की M/s flat and angle का उपयोग किया गया इस item को सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा टैस्ट चैक भी नहीं किया। फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अतिरिक्त/अनुचित लाभ देने के लिए ऐसा किया गया है क्योंकि नियमानुसार निर्माण स्थल पर उसी साईज़ का M/s flat and angle उपयोग किया जाना था जिस को Specificatio/estimate में लिया गया था फलस्वरूप नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को राषि ₹1,756.00 का अनियमित/अधिक भुगतान किया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :—

Name of item executed	Measurement taken in estimate	Measurement taken in MB	Total Qty done in Mtr.
Steel work melded in built up section	M.S. Flats 40 x 5	40 x 6	22 mtr
	Angle 40 x 40 x 5	40 x 40 x 6	13.2 mtr
	Bar 20mm Railing hollow pipe in top	Bar 20mm Railing hollow pipe in top	30.8 mtr 9.8 mtr

(Excess Consumption) अधिक खपत :—

eki@[kir tk eki ifLrdk l[;k 57 i t&1	eki@[kir vuqeku e
M/s flat 40 x 6	**M/s flat 40 x 5**
22 Mtr @ 1.86 = 40.90 kg	22 Mtr @ 1.60 = 35.20 kg

Angle 40 x 40 x 6	**Angle 40 x 40 x 5**
13.2 Mtr @ 3.72 = 49.10 kg	13.2 Mtr x 3.00 = 39.60 kg
Bace 20 mm	
30.8 Mtr @ 3.12 = 96.00 kg	30.8 Mtr x 3.12 = 96.00 kg
Hollow pipe	
9.8 Mtr @ 4.42 = 43.30 kg	9.8 Mtr @ 2.20 = 2.56 kg
Total 229.30 kg	**192.36 kg**

जितनी अधिक खपत की = 229.30 कि0ग्रा0 –192.36 कि0ग्रा0 = 36.94 कि0ग्रा0

अधिक भुगतान = 36.94 कि0ग्रा0 x 3127.30 प्रति कि0ग्रा0 = 1155.23

जमा प्रिमियम 52% = 600.72

कुल अधिक भुगतान = 1755.95 says ₹1756.00

अतः अनियमित/अधिक किए भुगतान राषि ₹1756.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिष्चित करें।

24 **Community Hall d fuekZ.k d fy, Bdsnkj dks tkjh 400 lheSUV cSx dh olwyh u djus ij jkf'k ₹1-22 yk[k dh foÙkh; gkfu** ¼&

नगर परिषद के टैण्डर रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने श्री सुनील शर्मा ठेकेदार को आबंटन पत्र संख्याः 7(51) पार्ट–IInd/एम0सी0/2006/432, दिनांक 31.08.2006 के द्वारा Community Hall के निर्माण का कार्य दिया गया तथा निर्माण कार्य को करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया जिसके अनुसार ठेकेदार को 15.09.2007 में कार्य पूर्ण करना था। सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए नगर परिषद ने Indent संख्याः 46/71, दिनांक 25.04.07 तथा 46/72, दिनांक 20.06.07 द्वारा 200 बैग सीमेन्ट प्रति Indent के अनुसार ठेकेदार को जारी किए गए। निम्नलिखित आपत्तियों सहित आगामी लेखा परीक्षा विभाग को प्रस्तुत करें।

अनुबन्ध की धारा–2 में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार निर्माण कार्य को अनुबन्धित समय सारणी अन्दर पूर्ण नहीं करता तथा न ही उसने extention of time लिया हो या निर्माण कार्य की प्रगति समय अनुसार नहीं है तो उसके विरूद्ध आबंटन राषि ₹20,57,721.00 की 10 प्रतिषतता राषि ₹2,05,772.00 का जुर्माना लगाया जाना था जबकि नगर परिषद द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध अनुबन्ध

की धारा–2 के अर्न्तगत कोई कार्यवाही नहीं जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को राषि ₹2,05,772.00 का वित्तीय हानि हुई है।

24-1 अनुबन्ध की धारा–3 में प्रावधान है कि ठेकेदार के निर्माण कार्य को बन्द करके तथा उसकी इस कार्य में जमा Security को जब्त करने के उपरान्त जितनी अधिक राषि पर पुनः निर्माण कार्य आबंटन होता है उसकी वसूली/भरपाई भी ठेकेदार से की जाने का प्रावधान है जबकि नगर परिषद द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की। अतः धारा 3 के अनुसार कार्यवाही न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

24-2 ifj"kn Hk.Mkj ls tkjh lheUV 400 cSx ds mi;ksx u djus o okfil Hk.Mkj esa u tek djokus ds dkj.k 1-22 yk[k dh foÙkh; gkfu %&

ठेकेदार की उक्त निर्माण कार्य हेतु 400 सीमेन्ट बैग जारी किए गए परन्तु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पर कोई भी सीमेन्ट बैग का उपयोग नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेष पी0डब्ल्यू0डी0 वर्कस नियमों में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिए जो सामान विभाग द्वारा जारी किया जाता है और जारी सामग्री में जो सामग्री उपयोग unused रह जाती है उसे वापिस विभाग को लौटाया जाता है यदि अनुपयोग सामग्री ठेकेदार वापस नही करता तो उस सामग्री की वसूली दोहरे दर पर ठेकेदार से बिल से करके बिल का भुगतान किया जाता हैं जबकि ठेकेदार ने उक्त निर्माण के लिए जारी 400 बैग सीमेन्ट को वापिस नहीं लौटाया और न ही नगर परिषद ने ठेकेदार से 400 बैग सीमेन्ट की वसूली दोहरे दर यानि (400 x 152)x 2 = ₹1,21,600.00 से की जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को ₹1,21,600.00 की वित्तीय हानि हुई। उक्त वित्तीय नुकसान की उच्च स्तरीय जाँच करके दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 Bsdsnkjksa dks fofHkUu&fofHkUu fuekZ.k dk;ksZa ds fy, tkjh fd, lheasV dh ckjh dh nj dk de fu/kkZj.k djus ds QyLo:i uxj ifj"kn dks jkf'k ₹3]980-00 dk foÙkh; udlku %&

नगर परिषद के सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ने विभिन्न–विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार को ₹170/– प्रति बैग की दर से सीमेन्ट के बैग जारी किए तथा उसी दर पर ठेकेदार के बिलों से सीमेन्ट बैग की वसूली की गई। जबकि ठेकेदार को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जिस दर से सीमेन्ट बैग जारी किए जाने थे तथा वसूली की जानी थी उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

दिनांक 08.01.08 को HP.SC.S corp से मंगवाये सीमेन्ट बैग की दर 66492/400	₹166.93
जिस दर से ढुलाई की गई	₹2.25
	₹169.18
3 प्रतिषत स्टोर चार्ज़िज	₹4.99
सीमेन्ट बैग की दर	₹174.17

अतः कम दर से जारी सीमेन्ट बैग के फलस्वरूप नगर परिषद को लगभग राषि ₹3,980/– वित्तीय नुकसान वहन करना पड़ा। जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। जिन–जिन निर्माण कार्यो के लिए ठेकेदार को सीमेन्ट जारी किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

fuek.k dk;l dk uke	Bdnkj dk uke	ftru lheUV cSx tkjh fd,	ftl nj ij tkjh fd,	ftl nj ls tkjh fd, tkuk Fkk	vUrj #i;k esa
C/o Steps behind Police Station	Sh. Arun Vekta Contractor	52 bags	170 per bag	174.00 per bag	208.00
C/o Cross drain in ward No.1	Sh. Roshan Lal Contractor	62 bags	170 per bag	174.00 per bag	248.00
C/o Path from NH-22 to Prem Public School	Sh. Anil Vekta Contractor	65 bags	170 per bag	174.00 per bag	260.00
C/o New Rain Shelter and Renovation of old	Sh. Rohit Verma Contractor	52 bags	170 per bag	174.00 per bag	208.00
Providing R/walls at Rahighat Road ward No. 7	Sh. Rajeev Verma Govt. Contractor	146 bags	170 per bag	174.00 per bag	584.00
C/o Path from NH-22 to Balak Ram house	Sh. Deep Ram Govt. Contractor	23 bags	170 per bag	174.00 per bag	92.00

C/o Main drain form Subhash Chowk to Hulga Khud	Sh. Mohan Lal Verma Govt. Contractor	350 bags	170 per bag	174.00 per bag	1400.00
C/o Path from NH-22 to Balak Ram House ward No. Theog	Sh. Deep Ram Hatta Govt. Contractor	47 bags	170 per bag	174.00 per bag	188.00
C/o R/wall in Rahighat Road Ward no.-I	Sh. Rajeev Verma Contractor	120 bags	170 per bag	174.00 per bag	480.00
C/o Cross Chain at Janoghat	Sh. Roshan Lal Contractor	23 bags	170 per bag	174.00 per bag	112.00
C/o Path to Balak Ram House	Sh. Deep Ram Hatta Govt. Contractor	9 bags	170 per bag	174.00 per bag	36.00
P/L Cheqused tiles flooring from NH-22 to Prem Public School	Sh. Anil Vekta Govt. Contractor	21bags	170 per bag	174.00 per bag	84.00
C/o Steps behind Police Station	Sh. Arun Vekta Govt. Contractor	20 bags	170 per bag	174.00 per bag	80.00
				Total	**₹3980.00**

26 uxj ifj"kn }kjk fcuk tLVhfQds'ku rS;kj djds Bsdsnkjksa dks vfu;fer :i ls jkf'k ₹14-57 yk[k ds fuekZ.k dk;ksZa dk vkcaVu djuk %&

नगर परिषद के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों का आबंटन विभागीय जस्टीफिकेषन के बिना ठेकेदारों को Negotation उपरान्त आबंटित किया जाता है जबकि नियमानुसार निर्माण कार्यों का आबंटन जस्टीफिकेषन के आधार पर ठेकेदारों को किया जाना अपेक्षित है जिससे यह सुनिष्चित हो सके कि निर्माण कार्यों का आबंटन सही दर पर किया गया। अतः बिना जस्टीफिकेषन बनाये ठेकेदारों को निर्माण कार्य का आबंटन करने बारे नगर परिषद अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जिन कार्यों का आबंटन बिना जस्टीफिकेषन तैयार करके किया गया उनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

fuekZ.k dk;Z dk uke	Bsdsnkj dk uke@vkcaVu i=	vkcaVu jkf'k	ftru ifr'kr ij vkcafVr fd;k

C/o Cross drain and R/wall near court	Sh. Roshan Lal N.21(1)(1)part-3-Vol-4-221-227, dated 30-05-2008	56,539.00	3489% above HPSR 1999
Providing R/wall at Rohighat road at Various R.D.	Sh. Rajeev Verma No.21(1)(1)Part-3-Vol-4-209-214, dated 30-05-08	1,49,199.00	18.42% above HPSR 1999
C/o Steps Behind Police Station ward No. 3	Sh. Arun Vekta No.21(1)(1)Pat-3-Vol-4-180-185, dated 28-05-08	21,383.00	23.43% above HPSR 1999
C/o Cross drain in junction to court Janoghat in ward No.1 Theog	Sh. Anil vekta No. 7(54)/MC/08-379, dated 16-07-2008	14,761.00	46.43% above HPSR 1999
Providing and laying cheqused tiles flooring from NH-22 to Prem Public School Path	Sh. Anil VektaNo.7(54)/MC/08-373, dated 16-07-08	63,934.00	32.84% above HPSR 1999
C/o New RainShelter and Renovation of existing Rain Shelter at Ward No. 3	Sh. Rohit Verma No. 21(1)(1)part 3-Vol-4-229 to 235, dated 30-05-08	2,24,914.00	33.48% above HPSR 1999
C/o Path from NH-22 to Balak Ram House at Chaidhalla Theog	Sh. Deep Ram Hetta No. 21(1)(1) Part-3 Vol-4-215 to 220, dated 30-05-08	42,775.00	12.71% above HPSR 1999
C/o Path from NH-22 to Shali Bazar NH-22 to Subhash	Sh. Suresh Vekta Govt. Contractor MCT/works/10-11/1136, dated 04-10-10	37,848.00	52% above HPSR 1999

Chowk ward no. 6			
C/o Toilet Block at Subhash Chowk Ward No. 6	Sh. Rajesh Sharma Govt. Contractor MCT/Works/10-11/1249, dated 28-10-10	3,10,800.00	item rate tender
C/o Path Saryana Road towasds Balak Ram Bhandari House ward No. 4	Sh. Brij Lal Bhardwaj Govt. Contractor No. MCT/Works/10-11-1130, dated 21-10-10	54,400.00	70% above HPSR 1999
C/o Path from Janogghat Chowk to wards Potato ground ward No. 2	Sh. Bhupinder Singh Govt. Contractor No. MCT/works/10-11/1160, dated 04-10-10	1,77,827.00	item rate tender
Providing pre-caste cement inter link block power duty from railing etc at Subhash chowk	Sh. Sunil Sharma Govt. Contractor No. THG/MC/2009-1075-77, dated 09-09-10	1,21,900.00	20% below HPSR 1999
Pavement of Road From NH-22 to wards civil hospital ward No. 6	Sh. Rakesh Verma Govt. Contractor No. MCT/works/10-11-1243, dated 28-10-10	1,26,300.00	item rate tender
C/o Retaining wall from DAV School towards civil hospital ward No. 7	Sh. Sunil khachi Govt. Conrtactor	63,800.00	65% above HPSR 1999
		Total	**14,57,380.00**

27 नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार आयकर तथा बिक्री कर की कटौती न करने के फलस्वरूप राषि ₹587.00 का अधिक भुगतान

नगर परिषद ने संविदाकार श्री अनिल वेक्टा को C/o cross drain at Junction to court at Janoghat के निर्माण कार्य के तहत वाऊचर संख्याः 163, दिनांक 22.08.08 के द्वारा प्रथम एवं अन्तिम बिल राषि ₹1,4501/–का भुगतान किया परन्तु भुगतान करते समय ठेकेदार के बिल से आयकर तथा बिक्री कर की कटौती नहीं की फलस्वरूप ठेकेदार को राषि ₹587/– का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

fcy dh dqy jkf'k		vk;dj dVkSrh	lsYt VSDl	dqy dVkSrh
14,501.00	2%	290.00	290.00	587.00
	2.24 % S.C	7.00		
		297-00		

अतः उपरोक्त किए गए अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली करके नियमानुसार सम्बन्धित सरकारी विभागों में जमा की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 lEifr jftLVj eas jkf'k ₹2.35 yk[k dh lEifr dk bUnzkt u djus ckjs %&

हिमाचल प्रदेष मियुनिसिपल कोड 1975 की धारा 152(1) में प्रावधान है कि हर स्थानीय निकाये को Immovable and moveable property रजिस्टर को रखना अनिवार्य है तथा निकाये के पास जितनी भी moveable and immovable property है उसका इन्द्राज पूर्ण विवरण के साथ सम्पति रजिस्टर में किया जाना अपेक्षित है सम्पति का सत्यापन स्थानीय निकायों के सदस्यों या सदस्य Authorized by local bodies एवं अधिकारी द्वारा तीन साल में एक बार करना होगा। नगर परिषद ठियोग द्वारा न तो नियमानुसार moveable and immovable property रजिस्टर का रख–रखाव किया है और न ही इसमें moveable and immovable property की प्रविष्टि की।

नगर परिषद ठियोग ने हिमाचल प्रदेष एग्रो इंडस्ट्रीज निगम से 15 नम्बर Garbage Dust bins की खरीद के लिए supply order No. 8-V/MCT/2009-108, दिनांक 11.06.09 जारी किया जिसके तहत निम्नलिखित Garbage Dust bins प्राप्त हुए :–

okÅpj la0@ fnukad	fcy la[;k o fnukad	C;kSjk	la[;k	nj	dqy jkf'k
135/24.07.09	0077232 डी 16.07.09	Garbage Dust bins with C.R. Sheet 16G, HR Sheet 14	2 नं0	20900 + 12.50 % Vat	47,025.00

		G, and angle 40 x 40 x 5/ 25 x 25 x 3 one inlet sliding door			
137 / 30.07.09	77235 21.07.09	-do-	2 नं0	-do-	47,025.00
	77236 21.07.09	-do-	2 नं0	-do-	47,025.00
	77237 21.07.09	-do-	2 नं0	-do-	47,025.00
	77238 23.07.09	-do-	2 नं0	-do-	47,025.00
				Total	₹2]35]125-00

परन्तु नगर परिषद ने उक्त खरीद किए गए Garbage Dust Bins की प्रविष्टि Property Register में न करके स्टॉक रजिस्टर में की। अतः Garbage Dust Bins की प्रविष्टि सम्पति रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा नियमानुसार इन Garbage Dust Bins की प्रविष्टि सम्पति रजिस्टर में पूर्ण विवरण सहित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिष्चित करें।

29 lkexh dh [kjhn e vfu;ferrk,¡ %&

okÅpj l[;k 119 o 120] fnukd 14-07-09] jkf'k ₹1500@&

okÅpj l[lk 130 o 131] fnukd 15-07-09] jkf'k ₹1450@&

नगर परिषद ने शहर के अन्दर स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव के लिए M/s M.Light Service व Limited Traders से निम्नलिखत बिजली के सामान की खरीद की।

Qel dk uke	fcy l0 o fnukd	lkexh		ifr nj	dy jkf'k 0;;
M/s M. light service	1914 दिनांक 20.06.09	Bajaj Chook	10 नं0	110	990.00

united traders	5401 दिनांक 20.06.09	Tube Rode 40 w	10 नं0	45	450.00
		Tape Roll ¾’	6 नं0	10	60.00
M/S M. light Service	1927 दिनांक 06.07.09	steel grip tap roll ¾’	10 नं0	12	120.00
		Tube rode 40 w	10 नं0	45	450.00
M/S M. light Service	1923 दिनांक 06.07.09	Bajaj Choke 40 w	8 नं0	110	880.00

जबकि हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार उक्त सामान की खरीद दर संविदा वाली फर्म से की जानी अपेक्षित थी। अतः यदि किसी कारण वष सामग्री की खरीद खुले बाजार से की जानी आवष्यक थी तो उसके लिए बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए Quotations को आमन्त्रित करके तथा भण्डार नियन्त्रक हिमाचल प्रदेष से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करके की जानी थी। अतः औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना खुले बाजार से सामग्री की खरीद बारे अपना औचित्य स्पष्ट करें तथा इस अनियमितता को नियमित करने हेतु इसकी कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके खरीद पर किए व्यय को नियमित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करें।

30 <u>vfHkys[kk dk vads{k.k ds fy, izLrqr u djuk</u> %&

नगर परिषद ठियोग के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित वाऊचरों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

okÅpj la[;k@ekg	C;kSjk	jkf'k
159/14.08.08	वाहन सं0 HP-09-7637 के लिए 90 लीटर डीजल व 1 लीटर M. oil की खरीद बिल सं0 1012, दिनांक 01.08.08 द्वारा करना	3366.50
125 व 126/14.07.09	वाहन संख्या HP-09-7637 के लिए 50 लीटर डीजल की खरीद बिल सं0 4719, दिनांक 23.06.09 तथा 50 लीटर डीजल व 2 लीटर Brack oil की खरीद बिल सं0 4848, दिनांक 07.07.09	1602.50 तथा 1834.50
414/28.01.11	वाहन संख्याः HP-09-7637 के लिए 70 लीटर	2713.90

डीजल व 1 लीटर M. oil की खरीद बिल सं0
दिनांक 03.12.10

31 fofo/k %&

नगर परिषद ठियोग के लेखों अवधि 04/07 से 03/11 के अंकेक्षण के दौरान कुछ एक ऐसी अनियमितताएं पायी गई जिनका समाधान शीघ्र अतिषीघ्र किए जाने की आवष्यकता है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई विभिन्न–विभिन्न सामग्री की प्रविष्टियों में सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर न करवाना और न ही वर्ष के अन्त में सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिष्चित करना कि स्टॉक रजिस्टर में जितनी सामग्री बकाया में उतनी वास्तविकता में स्टोर मे है या नहीं।

31-1 संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु जारी की गई सामग्री की प्रविष्टि Contractor Ledger में नहीं की जा रही थी जिससे जारी किए गए सामान की वसूली हो गई है, को सुनिष्चित नहीं किया जा सका इस प्रकार की गम्भीर त्रुटि के कारण जारी किए गए सामान के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः संविदाकार को जारी किए गए सामान की प्रविष्टि तथा संविदाकार के बिल से सामान की खपत की प्रविष्टि नियमानुसार Contractor Ledger में करना सुनिष्चित ताकि सामान के दुर्विनियोजन की सम्भावना को अंकुष लगाया जा सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31-2 नगर परिषद ठियोग आलू ग्राऊंड तथा सराय भवन को विभिन्न–विभिन्न प्रयोजनों, उत्सवों हेतु लोगों को नगर परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क पर देता है परन्तु नगर परिषद ने इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/रजिस्टर तैयार नहीं किया है जिससे यह सुनिष्चित किया जा सके कि नगर परिषद को जिन–जिन लोगों ने आलू ग्राऊंड तथा सराय हेतु आवेदन किया था उन सबसे शुल्क लेकर आलू ग्राऊंड तथा सराय को दिया क्योंकि नगर परिषद में कुछ एक ऐसे आवेदन भी पाये गए जिसमें न तो उनके प्रार्थना पत्र रद्द किए गए और न ही उनसे आलू ग्राऊंड के किराय की वसूली की गई। अतः ऐसी गम्भीर अनियमितता हेतु सक्षम अधिकारी से आवेदन पत्र को अनुमोदन उपरान्त उसकी प्रविष्टि सम्बन्धित रजिस्टर तैयार करके करें।

32 <u>y?k vkifÙk foojf.kdk</u> %& यह अलग से जारी नहीं की गई। लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

33 <u>fu"d"k</u> %& लेखों के रख–रखाव में अधिक सुधार की आवष्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु आवष्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाऐं।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(34)-फिन(एल0ए0)–खण्ड–I दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

(2) निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.

i:thd`r %– (3) सचिव, नगर परिषद ठियोग, जिला षिमला (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस कार्यालय को अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuq dekj ?kk:½

¼1½ vads{k.k izfrosnu vof/k 06@73 ls 03@74

1	पैरा 23(ई)	अनिर्णीत

¼2½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@79 ls 03@81

1	पैरा 10(ए)	अनिर्णीत

¼3½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@84 ls 03@85

1	पैरा 16	अनिर्णीत

¼4½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@91 ls 03@94

1	पैरा 14	अनिर्णीत

¼5½ la;qDr funs'kd] Jh cyhj pUn 'kekZ dh fujh{k.k fjiksVZ

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत

¼6½ vads{k.k izfrosnu vof/k 1997 ls 2004

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 19(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 19(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 20	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत

9	पैरा 25(4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 25(6)	अनिर्णीत	
11	पैरा 25(10)	अनिर्णीत	
12	पैरा 26(2)	निर्णीत	(नगर परिषद दिए उत्तर एवं निदेषक शहरी विकास से प्राप्त पत्र के आधार पर)
13	पैरा 30(1)	अनिर्णीत	
14	पैरा 30(2)	अनिर्णीत	
15	पैरा 30(3)	अनिर्णीत	
16	पैरा 30(4)	अनिर्णीत	
17	पैरा 30(5)	अनिर्णीत	
18	पैरा 30(6)	अनिर्णीत	
19	पैरा 30(7)	अनिर्णीत	
20	पैरा 30(8)	अनिर्णीत	
21	पैरा 31(1)	निर्णीत	(पैरे को नगर परिषद द्वारा दिए उत्तर एवं कर्मचारियों के Regularization आदेष जोकि निदेषक शहरी विकास द्वारा जारी किए गए के आधार पर)
22	पैरा 31(2)	अनिर्णीत	
23	पैरा 31(3)	निर्णीत	(पैरे को नगर परिषद द्वारा दिए उत्तर एवं कर्मचारियों के Regularization आदेष जोकि निदेषक शहरी विकास द्वारा जारी किए गए के आधार पर)
24	पैरा 32(1)	अनिर्णीत	
25	पैरा 32(2)	अनिर्णीत	
26	पैरा 32(3)	अनिर्णीत	
27	पैरा 32(4)	अनिर्णीत	

28	पैरा 32(5)	अनिर्णीत	
29	पैरा 32(6)	अनिर्णीत	
30	पैरा 32(7)	अनिर्णीत	
31	पैरा 32(8)	अनिर्णीत	
32	पैरा 32(9)	अनिर्णीत	
33	पैरा 32(10)	अनिर्णीत	
34	पैरा 32(11)	अनिर्णीत	
35	पैरा 33	अनिर्णीत	
36	पैरा 35(1)	अनिर्णीत	
37	पैरा 35(2)	अनिर्णीत	
38	पैरा 36(3)	अनिर्णीत	
39	पैरा 37(2)	अनिर्णीत	

¼7½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@04 ls 03@07

1	पैरा 1	निर्णीत	(Deposit vide B.Draft No. 065988, dated 18-10-07)
2	पैरा 2(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
3	पैरा 2(3)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
4	पैरा 2(4)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
5	पैरा 2(5)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
6	पैरा 2(6)	अनिर्णीत	
7	पैरा 2(7)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
8	पैरा 2(8)	अनिर्णीत	
9	पैरा 3(1) से (4)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
10	पैरा 4(1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)

11	पैरा 4(2)(क)(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(3)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
13	पैरा 4(4)(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(5)	निर्णीत	(वसूली की सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत किया)
15	पैरा 4(6)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
16	पैरा 4(7)(1)(2)	अनिर्णीत	
17	पैरा 4(8)	अनिर्णीत	
18	पैरा 4(9)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)
19	पैरा 5(1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(2)	निर्णीत	(वसूली की सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत किया)
21	पैरा 5(3)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(4)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6(3)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(5)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(7)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
30	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
31	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
32	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
33	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	

34	पैरा 7(5)	निर्णीत	(दिये गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
35	पैरा 7(6)	अनिर्णीत	
36	पैरा 7(7)	अनिर्णीत	
37	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	
38	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
39	पैरा 7(10)	अनिर्णीत	
40	पैरा 7(11)	अनिर्णीत	
41	पैरा 7(12)	अनिर्णीत	
42	पैरा 7(13)	अनिर्णीत	
43	पैरा 7(14)	अनिर्णीत	
44	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
45	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
46	पैरा 9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान ऑडिट रिपोर्ट में)